खण्ड-446, अंक-4
बुधवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1925
(17 सितम्बर, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2003)

खण्ड 446 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1-2
विश्वविद्यालयों में रैगिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	2-3
बुलन्दशहर जनपद के शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	3-4
जनपद वाराणसी के सैदपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-चोलापुर व ग्राम पिपरी के बीच नाद नदी पर पुल निर्माण विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	4
जनपद अम्बेदकर नगर में माया टाण्डा मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र की अध्यापक विहीन प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4-5
जनपद बांदा के विसण्डा, ओरन पहाड़ी मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	5
जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत खीरी क्षेत्र में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैलानी के निर्माणार्थ धन आवंटित किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	5
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में शारदा नदी पर पचपड़ी घाट पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद गाजीपुर में नोनहरा अलावपुर मार्ग पर रसूलपुर हबीबुल्ला ग्राम के पास मगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद लखनऊ के माल मलिहाबाद, काकोरी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	6-7
अधीक्षण अभियन्ता जल निगम चित्रकूट मण्डल द्वारा किये गये भ्रष्टाचार तथा उनकी सम्पत्तियों की जांच कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	7
जनपद गोरखपुर की नगर पंचायत सहजनवां की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	7

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फैजाबाद के कटेहरी क्षेत्रान्तर्गत विसुई नदी पर, नरायनपुर घाट पर जनहित में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद आजमगढ़ के ग्राम गड़ौसी, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ में नामजद हत्याभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद बस्ती में बी0 एड0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को बहाल किये जाने के लिये नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	8-9
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सण्डीला-मल्लावां-मेंहदी घाट मार्ग का चौड़ीकरण कराकर शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में राजकीय कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई जमीन तथा धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	9
बलिया जनपद में बाढ़ से हुई क्षति तथा सरकार द्वारा अविलम्ब सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	9-10
जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी से बालू खनन के पट्टे अवैधानिक तरीके से मे0 ओखला सैण्ड सप्लाई आदि कतिपय कम्पनियों को दिये जाने की जांच शासन से प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
जनपद औरैया के विधूना क्षेत्र के विधायक द्वारा अपने विरुद्ध की गई उत्पीड़न की कार्यवाही की न्यायिक जांच तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
जानद झांसी के मऊरानीपुर थानान्तर्गत श्रीमती उर्मिला देवी के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर भुक्तभोगी परिवार को सुरक्षा प्रदान करने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
मेरठ महानगर में कचरे से बिजली बनाने की लम्बित योजना को तत्काल लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
महानगर लखनऊ के थाना आशियाना ग्राम पकरी कासिमपुर निवासी श्री किशोरी लाल रावत के पुत्र को गायब करने वालों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत फक्कड़दास की कुटी से लली की चक्की तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद बहराइच में पयागपुर थाने के सामने स्थित जिला पंचायत के गेस्ट हाउस पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बिगाड़ने वाले कतिपय अराजकतत्वों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
प्रदेश में गन्ना किसानों का कोटा रकबे के आधार पर बनवाने तथा उसकी स्लिप सर्वे के बाद दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
संविधान के अनुच्छेद-207(3) के अन्तर्गत विचारित किये जाने वाले विधेयक पर श्री राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	14-15
सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियां स्वीकृत उद्देश्यों पर खर्च न करके अनावश्यक निर्माण पर लगाये जाने पर औचित्य का प्रश्न	15-19
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) (सदन के पटल पर रखा गया)	19
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2000-2001 (दो खण्डों) व विनियोग लेखे 2000-2001 (सदन के पटल पर रखे गये) ...	20
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	20
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	20
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का द्वादश प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	20-21
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	21-22
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	22-25
महाधिवक्ता का सदन में सबसे परिचय कराने का अनुरोध	25
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	25-31
हापुड़ के दूध व्यापारी श्री अशोक कुमार गर्ग की हत्या पर मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता की घोषणा विषयक सूचना	31
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	31
कुछ समय तक सदन को स्थगित किये जाने की सूचना (जारी) ...	31-32
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव.... (स्वीकृत)	32-33
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव.... (स्वीकृत) ...	33
कुछ समय तक सदन को स्थगित किये जाने की सूचना	33
अम्बेडकर गांवों के विकास कार्य को टप्प कर दिये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना..... (जारी)	33-34
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तर्गत आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ...	34-35
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण (प्रस्तुत)	35-37
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003..... (पारित)...	38-45
अम्बेडकर गांवों के विकास कार्यों को टप्प कर दिये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	45-50
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	50-51
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	51
राष्ट्रीय-गान	51-52

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-368

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, श्री	बागपत
अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह, यादव,श्री	बदायूं
ओम प्रकाश गाजीपुर,श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल,श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया,श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ	
जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
परागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर श्री	महराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0काम, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास	
(डमडम महाराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह गौतम उर्फ	
सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बांदा
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा" श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद,श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ	
राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
"हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
***रिक्त	

नोट :-मा0 श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2003 ई0

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुईं।

पहली सूचना श्री मिथिलेश कुमार की

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

दूसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है, तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की है।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

चौथी सूचना श्री कैलाश नाथ सिंह यादव की है, पांचवी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है, छठी सूचना डा0 विनोद तिवारी की है, सातवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की है, आठवीं सूचना श्री राजेश कुमार की है, नवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की है, दसवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की है, ग्यारहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की है, बारहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है, तेरहवीं सूचना श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह की है, चौदहवीं सूचना श्री धर्म राज निषाद की है। पन्द्रहवीं सूचना श्री ददूद प्रसाद की है।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

सोलहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की है, सत्रहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की है।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचना में भाषण नहीं।

अठारहवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा की है, उन्नीसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है, बीसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

इक्कीसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है।

बाइसवीं सूचना श्री विनय शाक्य की है।

तेइसवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है।

चौबीसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

पच्चीसवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है।

छब्बीसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है।

सत्ताइसवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री अक्षयवर लाल की है। उन्तीसवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है और तीसवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला जी की है। इनमें से चार सूचनाओं को जो नियम-56 में प्राप्त हुई हैं उन्हें नियम-301 में परिवर्तित करके स्वीकार किया गया है। अब डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल अपनी सूचना को पढ़ना चाहते हैं तो वह पढ़ें।

(श्री राम इकबाल सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री अक्षयवर लाल तथा श्री घनश्याम शुक्ला ने अपनी सूचनाओं को सदन में पढ़ा)

(सदन की सहमति से स्वीकृत शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

विश्वविद्यालयों में रैगिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं एतद्द्वारा अपने इस विचार की सूचना देता हूं कि मैं सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता हूं, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर चर्चा की जा सके। उत्तर प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी ने रैगिंग रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पत्रांक 2407/2003/सोलह-1-250-96 दिनांक 11 जुलाई, 2003 के द्वारा प्राचार्य इन्जीनियरिंग कालेजों को रैगिंग रोकने के संदर्भ में 18 बिन्दुओं से निर्देशित किया। इस परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के निदेशक/प्राचार्य पर होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव ए0 के0 दमेले ने इस परिपत्र को 15 जुलाई, 2003 को प्रेषित किया। मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के विश्वेसरैया छात्रावास में रह रहे प्रथम वर्ष के एक दुर्भाग्यशाली छात्र ने रैगिंग की प्रताड़ना तथा अपमान सहन न कर पाने के कारण 11 सितम्बर की रात में गले में फांसी डाल कर आत्महत्या कर ली। एक प्रतिभाशाली मेधावी छात्र को इतने अपमानों से गुजरना पड़ा कि उसे जिन्दगी मौत से अधिक बदतर लगी और कालेज के प्रशासनिक अधिकारियों से जब उसे उचित संरक्षण नहीं मिला तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसने आत्महत्या करना बेहतर समझा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आज 5 दिन बीत गये। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव के इतने स्पष्ट परिपत्र के बावजूद (रैगिंग रोकने का दायित्व निर्धारण) यह अत्यन्त दुःखद है कि मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य प्रो0 सत्यशील अपने स्थान पर मजबूती से बने पड़े हैं तथा जांच को बखूबी प्रभावित कर रहे हैं। एक इन्जीनियरिंग कालेज के प्राचार्य को शासन के द्वारा इतना अधिक संरक्षण मिलने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्राचार्य ने जांच अधिकारी को भी गुमराह करने तथा निर्दोष छात्र को फंसाने का कार्य किया। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में असफल रहे मदन मोहन इन्जीनियरिंग कालेज के प्राचार्य को तुरन्त बर्खास्त किया जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी इस दुःखद घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करवायें। आज इन्जीनियरिंग कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इतने तनाव से गुजरने वाले छात्र भविष्य में कितने योग्यता सम्पन्न हो पायेंगे। यह इस सदन के सामने खुला प्रश्न है। यह आवश्यक है कि सदन की समस्त कार्यवाहियों को स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करायी जाए और श्री अध्यक्ष, नेता सदन को कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित करें।

*मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, रैगिंग का जहां तक संबंध है, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं इसलिए सरकार की तरफ से कड़े निर्देश चले गए थे, लेकिन हम जानते हैं ऐसा विवाद भी है बीच में कि कुछ लोग समर्थन भी करते हैं यह कहते हैं अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, नये छात्र आते हैं तो आत्मविश्वास बढ़े यह कारण बताते हैं लेकिन हम चाहते हैं इसमें सभी प्रमुख दलों के नेता बैठे हैं कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि इस समस्या का समाधान हो सके। कुछ लोग कुछ अंश तक इसके पक्ष में हैं मेरी कई जगह बातचीत हुई, दिल्ली में भी हुई, यहां भी हुई इसलिए चाहेंगे पूरी तरह से कड़े निर्देश देंगे, यहां कालेज के टीचर, डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य बैठे हैं इनका सम्पर्क छात्रों से है, कुछ अभिभावक हैं जो आई0ए0एस0 हैं, एक आई0ए0एस0 के लड़के को पूना में निष्कासित किया गया तो इसमें हम सब मिलकर बैठकर तय करें और जो प्रोसीजर हो उससे सब सहमत हों।

बुलन्दशहर जनपद के शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, बुलन्दशहर में नगरपालिका तहसील मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक मुख्यालय में एक महाविद्यालय तथा लगभग 5 इण्टर कालेज बालक-बालिकाओं के उपलब्ध है। सरकार द्वारा 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश दिये गये हैं। जिसमें एक सप्ताह रात्रि 10.00 बजे से दूसरे दिन 12.00 बजे तक तथा दूसरे सप्ताह प्रातः 4.00 बजे से सायंकाल 6 बजे तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की जा रही है जिससे रात्रि में छात्राओं के पठन-पाठन तथा महिलाओं के दैनिक कार्य जैसे घरेलू कार्य के सम्पादन में गंभीर असुविधा हो रही है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्सरे मशीन, पैथालॉजी कार्य गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में गंभीर संक्रामक रोग भी फैला हुआ है। जनहित में और जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अनुरोध है कि 14 घण्टे की जाने वाली विद्युत आपूर्ति शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए सायंकाल 6.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः काल 8.00 बजे तक नियमित रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्था कर दी जाय।

इस जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल आदेश प्रदान करने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के सैदपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-चोलापुर व ग्राम पिपरी के बीच नाद नदी पर पुल निर्माण विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

[महोदय, जनपद वाराणसी मेरे क्षेत्र सैदपुर में बथरीसूद विकास खण्ड चोलापुर में दूसरा ग्राम पिपरी इसी विकास खण्ड में आता है। दोनों ग्राम के बीच में नाद नदी बहती है। दोनों ग्राम के बीच पुल न होने के कारण पिपरी ग्राम पूर्ण तथा चारों तरफ से जल से घिर जाता है। उस गांव में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है नाव के माध्यम ही बचता है। दोनों गांव के बीच में 3 कि0मी0 रोड पुल का निर्माण कराया जाय जिससे समस्या का समाधान हो जाये।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त पुल को बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेदकर नगर में माया टाण्डा मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण समस्त परिवहन निगम की बसें, ट्रकें तथा अन्य आवागमन के साधन माया-टाण्डा राज्य मार्ग से आती है। जिसके कारण उक्त मार्ग में अनेकों जगह गड्ढे बन गये हैं आये दिन रास्ता ठप्प हो जाता है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माया-टाण्डा मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र की अध्यापक विहीन प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[महोदय, मैं सदन में, एक ज्वलन्त शैक्षणिक प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमान् जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर जनपद पीलीभीत में अधिकतर प्राइमरी पाठशालाएं बन्द होने की कगार पर हैं और कुछ बन्द होने की स्थिति में हैं। वे 94 गांव जोकि जनपद शाहजहांपुर से जनपद पीलीभीत में स्थानान्तरित हुए हैं उन गांवों की प्राइमरी पाठशालाएं बन्द हो चुकी हैं। जिन विद्यालयों में अधिक अध्यापक हैं उनमें से कम अध्यापक वाले विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। वे अध्यापक दबाव डलवाकर अपना-अपना स्थानान्तरण रुकवा लेते हैं जिससे उक्त प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। कुछ विद्यालय तो अध्यापक विहीन विद्यालय हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त ज्वलन्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर शासन से उक्त सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।]

जनपद बांदा के विसण्डा ओरन पहाड़ी मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[महोदय, बांदा विसण्डा ओरन पहाड़ी मार्ग लम्बाई 50 किमी0 सड़क की मौजूदा स्थिति पूर्ण रूप से खराब ध्वस्त एवं जर्जर हो चुकी है। उक्त मार्ग में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। विगत 10 वर्षों से उक्त मार्ग पर कोई भी मरम्मत एवं निर्माण कार्य नही कराया गया है। जिससे जनपद बांदा एवं चित्रकूट के सैकड़ों ग्रामों के नागरिकों को कमिश्नरी मुख्यालय बांदा में रोजाना आवागमन होने के कारण यातायात में बड़ी कठिनाइयां होती हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा बांदा विसण्डा, ओरन पहाड़ी मार्ग की मरम्मत एवं मार्ग निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत खीरी क्षेत्र में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैलानी के निर्माणार्थ धन आवंटित किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र 53 पैला खीरी के नगर परिषद् मैलानी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला योजना के अन्तर्गत सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ था स्वीकृत कराये जाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैलानी के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0 कार्य कराने हेतु स्वीकृत की गई। लेकिन अभी तक धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र धन आवंटित करें, ताकि लम्बित परियोजना पूरी हो सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में शारदा नदी पर पचपड़ी घाट पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0एस0 कुशवाहा-

[जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील निघासन में शारदा नदी पर पचपड़ी घाट का बड़ा पुल शासन द्वारा निर्माण कराये जाने के लिए प्रस्तावित है। इस पुल के बनने से लखीमपुर से निघासन की दूरी 20 किमी0 कम हो जाती है। हजारों लोगों को आने-जाने का लाभ होगा एवं ग्राम खैरीगढ़ सिगाही मार्ग पर एक पुल निर्माण की आवश्यकता है। नदी में पुल न होने के कारण खैरीगढ़ व शीतलपुर सहित कई गांव के लोग बरसात के समय 5 महीने तक केवल नाव द्वारा ही सिघाही या लखीमपुर आ जा सकते हैं। लगभग 10 हजार लोग नदी की दूसरी तरफ रहते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राज्यांश से उपरोक्त पुल को बनवाने की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर में नोनहरा अलावपुर मार्ग पर रसूलपुर हबीबुल्ला ग्राम के पास मगई नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा-

[महोदय, आपसे सादर अनुरोध करना है कि मेरी विधान सभा 271, गाजीपुर में नोनहरा अलावपुर मार्ग पर रसूलपुर हबीबुल्ला ग्राम के पास मगई नदी पर पुल निर्माण हेतु शासन द्वारा पुल की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति 221.80 लाख दिनांक 20-12-2001 को दी गयी थी जिसके विरुद्ध वर्ष 2001-2002 में रु0 88.72 लाख का आवंटन भी हुआ था, परन्तु अभी तक पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व की मांग को स्वीकृत करते हुए तत्काल निर्माण कार्य कराने हेतु आदेश दिये जांय।]

जनपद लखनऊ के माल, मलिहाबाद, काकोरी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि लखनऊ के आठ ब्लाकों में से 6 ब्लाकों में ग्रामीण क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती थी । ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी क्षेत्र की दर से आज भी विद्युत बिल वसूले जाते हैं। विगत 10 जुलाई, 2003 से ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ के माल, मलिहाबाद, काकोरी, सरोजनीनगर, गौसाईगंज, मोहनलालगंज में आठ घण्टे की विद्युत आपूर्ति शुरू करके 16 घण्टे की विद्युत कटौती लागू कर दी गयी थी। मलिहाबाद, माल, काकोरी क्षेत्र आमफल पट्टी क्षेत्र घोषित है। वहां नहरों में पानी नहीं आता है। सरकारी व प्राइवेट नलकूपों के जरिए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही आम के बागात् व नर्सरी को बचाया जाता है। विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे न देना लाखों किसानों के जीवन-मरण का सवाल बन गया है। चूंकि जब वहां शहरी रेट से विद्युत का बिल देते आये हैं और अब भी शहरी क्षेत्र से बिल दे रहे हैं तो जनहित में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। महोदय जी, यह सूचना अत्यन्त लोकमहत्व, अविलम्बनीय तथा आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे नियम-301 में ग्राह्य करके सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।]

अधीक्षण अभियन्ता जल निगम चित्रकूट मण्डल द्वारा किये गये भ्रष्टाचार तथा उनकी सम्पत्तियों की जांच कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकमहत्व के विषय पर कराना चाहता हूं। चित्रकूट मण्डल में तैनात अधीक्षण अभियन्ता जल निगम निर्माण मण्डल बांदा एवं अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल (विद्युत/यांत्रिक) जल निगम बांदा एवं राम सिंह अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम 16वीं शाखा बांदा तथा ब्लाक, जसपुरा में तैनात अहिरवार जे0 ई0 व तिन्दवारी में तैनात जे0 ई0 निरंजन तथा चित्रकूट जनपद में तैनात शिवराम मिश्रा सहायक अभियन्ता जल निगम द्वारा शासन द्वारा प्राप्त करोड़ों की धनराशि बुन्देलखण्ड निधि राज्यांश, जिलांश तथा अन्य मदों द्वारा नये एवं रिवोर हैण्डपम्प लगाने में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है। रिबोर हैण्डपम्पों की सफाई कराकर रिबोर दिखाया गया है इस तरह से पूरे मण्डल महोबा, बांदा, चित्रकूट, जनपदों से सरकारी धनराशि में हेराफेरी करके जनहित में लगने वाले हैण्डपम्पों को फर्जी लगा दिखाकर गबन किया गया है जिससे उक्त अधिकारियों ने अपनी सर्विस के दौरान करोड़ों के आलीशान बंगले तथा सभी के पास अवैध कमाई की चार पहिया मंहगी गाड़ियां हैं इसलिए इनकी सम्पत्तियों की जांच कराना आवश्यक है इसलिए मैं शासन का उक्त प्रकरण पर ध्यानाकर्षण कराकर कार्यवाही की मांग करता हूं। अतः इस लोकमहत्व के इस विषय की सूचना स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद गोरखपुर की नगर पंचायत सहजनवां की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

[मान्यवर, जनपद गोरखपुर नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में समस्त सड़कें टूटी हुई हैं। जिसके कारण आवागमन बाधित होता है। आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सड़क के निर्माण न होने से आम जनता में अत्याधिक आक्रोश है। अस्तु इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए नगर पंचायत सहजनवां के सड़कों के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी क्षेत्रान्तर्गत बिसुई नदी पर नरायनपुर घाट पर जनहित में पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज निषाद-

[मान्यवर, आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत बिसुई नदी पर नरायनपुर घाट पर पुल बनाने की तरफ आकृष्ट करता हूं। यह पुल जनपद सुल्तानपुर और फैजाबाद को जोड़ता है। बरसात के दिनों में यहरुआ बिझौड़ा मार्ग पर पुल न होने के कारण छात्र, किसान, मजदूर एवं जनता को आने जाने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्र, छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है। एक मात्र नाव का सहारा रहता है। नदी में बाढ़ आ जाने से लगभग एक घंटा का समय पार करने में लगता है। जबकि मा0 मुख्य मंत्री मुलायम सिंह द्वारा सन् 1989 में जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो इस पुल का शिलान्यास मा0 स्व0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी जो वर्तमान मंत्री थे। अध्यक्षता में किए थे परन्तु आज तक निर्माण नहीं हुआ। अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं तथा मांग करता हूं कि उक्त पुल का निर्माण कराया जाए।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम गड़ौसी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ में नामजद हत्याभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, ग्राम गड़ौसी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ में दिनांक 4-9-03 को रात में दूधनाथ मौर्य के घर पर बदमाशों ने हमला किया जिसमें दूधनाथ मौर्य की हत्या हो गयी शेष कई महिलाओं को बुरी तरह घायल किया गया है। आज भी गम्भीर स्थिति में है। साथ ही साथ उनके परिवार की महिलाओं के जेवरात एवं नगद रकम लूट लिये। इस निर्मम हत्या एवं लूट से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है पीड़ित परिवार के लोग प्रभारी पुलिस से खुलकर नामजद अभियुक्त को बता रही है। पुलिस आनाकानी कर रही है। घटना को दबाने हेतु लीपापोती में लगी जिससे जनाक्रोश बढ़ रहा है। क्योंकि पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही है।

आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकहित की घटना पर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाय तथा पर्दाफाश करके घटना में पीड़ित परिवार को राहत उपलब्ध कराई जाए।]

जनपद बस्ती में बी0 एड0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को बहाल किये जाने के लिए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[मान्यवर, पूर्व शासन काल में जनपद बस्ती में 125 बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की सहायक अध्यापक पद पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ने नियुक्त किया। इन लोगों ने दो-दो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माह तक अध्यापन कार्य भी किया मगर दो-दो माह अध्यापन कार्य करने के बाद इनकी नियुक्ति पूर्व सरकार ने शासन द्वारा रद्द करा दी। ये सहायक अध्यापक दर-दर भटक रहे हैं। मैं इसकी सूचना दे रहा हूं। कृपया इसे संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही करें, अध्यापकों को बहाल किया जाय।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सण्डीला-मल्लावां-मेंहदीघाट मार्ग का चौड़ीकरण कराकर शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[मान्यवर, जनपद हरदोई के मेरे विधान सभा क्षेत्र-75 मल्लावां में सण्डीला मल्लावां मेंहदी घाट मार्ग जो अति महत्वपूर्ण है। यह मार्ग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों को सीधे मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों से लखनऊ सण्डीला मल्लावां मेंहदी घाट कन्नौज मार्ग द्वारा ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए जोड़ता है। इस मार्ग के अन्त के 6 कि0मी0 अभी भी अधूरे पड़े हैं। जिनका डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि इस मार्ग का डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि इस मार्ग का डामरीकरण हुए लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं। इस समय यह मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त उखड़ा हुआ है। लखनऊ तथा लखनऊ के पूर्वोत्तर के सभी जनपदों तथा सभी पूर्वोत्तर राज्यों से कन्नौज, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, दिल्ली, ग्वालियर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद आदि स्थानों को आने-जाने हेतु जो भी आवागमन के साधन चलते हैं चाहे वे परिवहन निगम की बसें हों या अन्य सभी साधनों के आवागमन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। जिससे सम्पूर्ण जनमानस बहुत ही दुःखी एवं चिन्तित है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मार्ग का चौड़ीकरण कराकर शीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में राजकीय कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई जमीन तथा धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में कई वर्षों से राजकीय कन्या हाई स्कूल किराये के भवन में चल रहा था, जर्जर भवन होने के कारण पुराने तहसील भवन में चलाये जा रहे हैं। वह भी जर्जर है 13 जनवरी, 2002 की जिला योजना बैठक में इस पारित के भवन हेतु जमीन भी प्रस्तावित हो गयी है। भवन निर्माण के लिए 20 हजार रुपया की स्वीकृत जिला योजना में हो गयी थी परन्तु अभी तक इस कालेज के भवन निर्माण हेतु जमीन ही राजस्व विभाग ने नहीं दी, न ही 20 हजार रुपये ही अवमुक्त हुआ। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोकमहत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उक्त कालेज की जमीन व भवन निर्माण की मांग करता हूं।]

बलिया जनपद में बाढ़ से हुई क्षति तथा सरकार द्वारा अविलम्ब सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-301 के तहत मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा बलिया जनपद बाढ़ की चपेट में आ गया है। करीब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांच लाख नागरिक स्वयं तथा जानवरों के साथ बाढ़ में घिरे हुए हैं। द्वाबा विधान सभा के दर्जनों गांवों के लोग रेलवे लाइन एवं बन्धों पर रहने के लिए बाध्य हैं तथा अपने बच्चों एवं जानवरों के साथ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इसी प्रकार कोपाचिट तथा बलिया सदर विधान सभा के नागरिकों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। सड़क तथा रेल मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के भी दर्जनों गांव की फसल बाढ़ के दबाव में जलमग्न हो गयी है। कोहरा गांव में चारों तरफ से पानी घुसा हुआ है। नागरिकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा गांव टोंस नदी के किनारे का गांव है, किसी भी दिन कटकर नदी की धारा में विलीन हो सकता है। इसके बचाव के लिए ठोकर बनवाना आवश्यक है। प्रशासन की तरफ से दिया जाने वाला सहयोग नाममात्र का ही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिन नागरिकों की क्षति (मृत्यु) बाढ़ से हुई हो उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाय साथ ही सारी देनदारी की बकाया राशि की वसूली रोक दी जाए। छात्रों की फीस माफ कर दी जाए एवं 25,000 रुपया तक के कर्जे माफ कर दिए जाएं तथा अविलम्ब बाढ़ पीड़ितों को 5-5 कुन्तल गेहूं तथा 20 कि0ग्रा0 चना, 20 ली0 किरासन तेल उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी से बालू खनन के पट्टे अवैधानिक तरीके से मे0 ओखला सैण्ड सप्लाई आदि कतिपय कम्पनियों को दिये जाने की जांच शासन से प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर-

[मान्यवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी में ग्राम रायपुर खादर, चकबसन्तपुर, असगरपुर जागीर, आदि गांवों में सैकड़ों एकड़ बालू खनन के पट्टे अवैधानिक तरीके से 9 वर्ष 7 माह के लिए मे0 ओखला सैण्ड सप्लाई कं0 मे0 नेशनल सैण्ड सप्लाई कम्पनी एवं ओरिएण्टल सैण्ड सप्लाई कं0 के नाम शासन के पत्रांक 3023/77-5-2002-232/2003 दिनांक 16-6-2003 के अनुपालन में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा 26-6-03 को कर दिए गए हैं। ये सभी पट्टे उ0 प्र0 खनिज (परिवहन) नियमावली, 1963 के विपरीत एवं स्पष्ट उल्लंघनकारी है क्योंकि उक्त नियमावली के अध्याय-2 के अन्तर्गत जो पट्टा प्रणाली के प्राविधान दिए गए हैं इसमें शासन द्वारा वर्ष 1990 में नीलामी एवं टेण्डर से परिहार स्वीकृत दिए के सम्बन्ध में प्राविधान बना दिए गए थे, तब बिना प्रचार किए बिना टेण्डर या नीलामी किए पुनः पट्टा कर दिए जाने से भारी घोटालों द्वारा उ0 प्र0 सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि इन पट्टों को करने से पूर्व डी0 एम0 गौतमबुद्ध नगर द्वारा भी नीलामी से ही पट्टे करने के लिए शासन को लिखा गया था। इससे पूर्व में भी इन्हीं लोगों को 7-12-93 को तत्कालीन जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा 9 वर्ष 7 माह के लिए अवैध पट्टे किए गए थे जिनकी जांच कर तत्कालीन और आयुक्त मेरठ ने 5 मार्च, 1997 को जांच आख्या शासन को प्रेषित की थी जिसमें प्रक्रिया को पूर्णतः अवैध मानते हुए पट्टे निरस्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच सतर्कता विभाग से कराकर कार्यवाही करने की संस्तुति की थी। इस पर कार्यवाही न होने पर पुनः तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी को मैंने पत्र लिखा जिसकी जांच उन्होंने जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर से कराई, जिसमें जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर श्री मनोज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिंह ने अपर आयुक्त की जांच के महत्व देते हुए तत्काल पट्टे निरस्त करने तथा आगे नीलामी के द्वारा पट्टे देने की जोरदार संस्तुति की गयी थी। किन्तु स्पष्ट जांच के बाद भी लीपापोती करके पट्टे निरस्त नहीं किए गए बल्कि अवधि पूरी होने के बाद भी पुनः अवैधानिक रूप से 9 वर्ष 10 माह की लम्बी अवधि के लिए सांठगांठ कर पुनः उन्हीं लोगों के नाम पट्टे कर दिए गए। अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस घपले की प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद औरैया के विधूना क्षेत्र के विधायक द्वारा अपने विरुद्ध की गई उत्पीड़न की कार्यवाही की न्यायिक जांच तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[मान्यवर, मैं 291, विधूना विधान सभा जनपद औरैया क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हूं। मेरे विरुद्ध जिलाधिकारी औरैया व पुलिस अधीक्षक औरैया ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिना तथ्यों के जाने फर्जी तौर से मु0अ0सं0 555/03 धारा 352, 504, 506 आई0पी0सी0 धारा 447, थाना विधूना औरैया में दर्ज करके बिना मेरा पक्ष सुने, मेरा विधूना किशनी रोड, विधूना औरैया स्थित आवास को धारा 145, 146 में कुर्क कर लिया यह तीनों कार्यवाही दिनांक 6-9-03 को की गई जिससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना हुआ है। मेरे आवास नं0 703 बी-ओ0सी0आर0 बिल्डिंग लखनऊ दिनांक 12-9-03 को रात 11 बजे अराजक तत्वों तथा पुलिस कर्मियों के द्वारा मेरे आवास का ताला तोड़ा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई है। दि0 14-8-03 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में 2 अतिरिक्त निशुल्क गनर दिये जाने की संस्तुति की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने मेरे शान्ती कालोनी इटावा स्थित आवास से सुरक्षा गार्ड हटा ली है। मेरे व मेरे परिवार को गम्भीर जान का खतरा बना हुआ है तथा लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग करता हूं तथा सुरक्षा की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के मऊरानीपुर थानान्तर्गत श्रीमती उर्मिला देवी के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर भुक्तभोगी परिवार को सुरक्षा प्रदान् करने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

आपको अवगत कराना है कि श्रीमती उर्मिला पुत्री श्री राजाराम काछी निवासी भानपुरा जनपद झांसी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जिससे वह गर्भवती हो गयी जिसका मुल्जिमानों द्वारा जबरदस्ती गर्भपात करा दिया गया। इस घटना का मुकदमा दिनांक 4-9-03 को थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी में दर्ज किया गया जिसमें नामजद मुल्जिमान सोनू पाठक व प्रमोद पाठक व कल्लू पाठक आदि हैं जो कि उर्मिला व उर्मिला के माता-पिता व भाई को अगले दिन गांव में न रहने देने की व पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं कि तुमने राजीनामा नहीं किया तो तुमको जान से मार दूंगा। यह लोग दबंग अपराधी व आतंकी हैं इनके डर से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है पुलिस ने मुल्जिमानों को गिरफ्तार नहीं किया है जिनसे उर्मिला और उर्मिला के परिवार को जान-माल का खतरा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दर्शाये गये अपराधियों को गिरफ्तार कराकर भुक्तभोगी उर्मिला व उसके परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ महानगर में कचरे से बिजली बनाने की लम्बित योजना को तत्काल लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर में कचरे से बिजली बनाने की योजना पर ई0डी0एल0 इण्डिया लि0 के पक्ष में एल0ओ0डी0 जारी हो चुका है। नगर निगम मेरठ ने भूमि भी प्रस्तावित कर दी, लेकिन अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे है। कई विभागों में, (नगर विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा) के बीच का मामला है, नोडल विभाग वैकल्पिक ऊर्जा हो तो श्रेयस्कर होगा। जनहित की यह योजना अनावश्यक लम्बित है, इससे जहां कचरे का निस्तारण होकर जन स्वास्थ्य की परिस्थिति बेहतर होगी, वहीं बिजली एवं खाद बनेगी।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल प्रभावी एवं परिणाम मूलक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महानगर लखनऊ के थाना आशियाना ग्राम पकरी कासिमपुर निवासी श्री किशोरी लाल रावत के पुत्र को गायब करने वालों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री किशोरी लाल रावत (अनुसूचित जाति-पासी) निवासी ग्राम-कासिमपुर पक्करी, पोस्ट आलमबाग थाना आशियाना जनपद लखनऊ का 13 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार रावत दिनांक 19-8-2003 से लापता है जिसका नामजद मुकदमा अपराध संख्या-261/2003 धारा 143/365/504/506 आई0पी0सी0 व 3(1) एक्स एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 26-8-2003 को थाना आशियाना जनपद लखनऊ में दर्ज किया गया है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस दोषियों को बचा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शीघ्र कराये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत फक्कड़दास की कुटी से लल्ली की चक्की तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र-96 डलमऊ जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर स्थित फक्कड़दास की कुटी से लल्ली की चक्की सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 8 किमी0 धन स्वीकृत होने के बावजूद अभी निर्माण कार्य लम्बित है। पूरी सड़क जीर्ण-शीर्ण एवं विक्षत एवं दयनीय हालत में है। फलस्वरूप इस सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए लगभग 50 गांवों के 25 हजार लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। इससे क्षेत्रीय जनता में बहुत रोष है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच में प्रयागपुर थाने के सामने स्थित जिला पंचायत के गेस्ट हाउस पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट, सरकारी भवनों पर गुण्डई एवं आतंक के बल पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। बहराइच जनपद में प्रयागपुर थाने के सामने स्थित जिला पंचायत के "गेस्ट हाउस" पर भुल्लन यादव अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने अपने साथियों के साथ आकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जिला पंचायत के अभियन्ता/अधिकारियों द्वारा फर्जी तौर पर आवंटन बता कर बिना कोई कागजात दिखाये जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिसके कारण स्थानीय जनता एवं अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों में भयंकर रोष व्याप्त है जो कभी भी भयंकर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर सदन के समस्त कार्य रोककर इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने एवं समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों का अनधिकृत कब्जा हटवाने हेतु सदन से निर्देशित करने की कृपा करें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बिगाड़ने वाले कतिपय अराजक तत्वों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तथा अपनी उपलब्धियों के लिए देश में विख्यात है। इस विश्वविद्यालय के छात्र देश, प्रदेश में विभिन्न उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित हैं। शैक्षिक वातावरण के लिए इसे जाना जाता है परन्तु इधर कुछ दिनों से विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। 10 सितम्बर, 03 को कुछ छात्र नेताओं ने शोध में प्रवेश के लिए शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने के लिए कला संकाय के अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया और कुर्सी एवं पेपरवेट उठाकर मारने की कोशिश की। छात्रों ने अध्यक्ष को कुछ देर तक कक्ष के बाहर नहीं निकलने दिया और जबरदस्ती तिथि बढ़ाये जाने का दबाव डाला। कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ उनके कार्यालय पर हमले की घटना हो चुकी है। उपरोक्त घटनाएं अत्यन्त चिन्तनीय एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है जो कि निन्दनीय है। इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा है।

उपरोक्त विषय लोक महत्व एवं अविलम्बनीय है। अतः विधान सभा की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने हेतु नियम-56 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में गन्ना किसानों का कोटा रकबे के आधार पर बनवाने तथा उसकी स्लिप सर्वे के बाद दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री घनश्याम शुक्ला-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो बिक्री सट्टा नीति है यह बहुत ही भ्रामक है। गन्ना नीति के अनुसार किसानों का जो वर्तमान समय में सट्टा बनाया जाता है वह दो वर्ष की उपज को देखते हुए उसका आधा सट्टा बनाया जाता है। इससे जो किसान गन्ने की उपज ज्यादा कर लेते हैं उनका गन्ना बिकने से रह जाता है। वर्तमान में गन्ने का सर्वे का कार्य चल रहा है। पिछले वर्ष तमाम गन्ना किसानों को पर्चियों के प्रभाव में अपना गन्ना जला देना पड़ा। यह बहुत ही ज्वलन्त विषय है। मैं इस सदन से मांग करता हूं गन्ना किसानों का कोटा रकबे के आधार पर जितना गन्ना किसानों ने बोया हो, के आधार पर बनवाने व किसान का कितनी पर्ची का सट्टा बना हो उसकी स्लिप सर्वे के बाद दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु नियम-56 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में माननीय सदस्य जिनकी सूचना अस्वीकार हुई है वह है श्रीमती विद्या चौधरी कल भी इसी विषय पर सूचना थी।

संविधान के अनुच्छेद-207 (3) के अन्तर्गत विचारित किये जाने वाले विधेयक पर श्री राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-9-2003 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

*श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद-207 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें प्राविधान है कि "जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है।" आज हमें अनुपूरक मांगों पर विचार करना है। मैं जानना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में कहीं यह दर्शाया नहीं गया है, क्या इस पर राज्यपाल महोदय की सिफारिश प्राप्त हो गयी है ?

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमों में तो नहीं आता है चूंकि माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और संविधान के अनुच्छेद-207 (3) का जिक्र किया है और अवश्य पढ़ा होगा। "जिस विधेयक को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है।" तो यह कैसे सम्भव है कि विधान सभा में कोई विधेयक महामहिम राज्यपाल की सिफारिश के बगैर आ जायेगा ? सिफारिश हो गयी है, राज्यपाल जी की और उसी के बाद यह विधेयक आया है। इसके बगैर यह सम्भव ही नहीं है जहां आप जैसा व्यक्ति बैठा हो। इस पर महामहिम राज्यपाल जी की सिफारिश प्राप्त हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आज प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार हेतु महामहिम श्री राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है। अतः यह सूचना निरस्त की जाती है।

सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियां स्वीकृत उद्देश्यों पर खर्च न करके अनावश्यक निर्माण पर लगाये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार और श्री राम नरेश यादव की है।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष औचित्य का प्रश्न रखते हुए अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

किस नियम के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न है ? औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और दूसरा नियम-300 के उपनियम-2 में है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा।" आपकी सूचना नियम-300 में नहीं आती है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यदि आपने तय कर लिया है कि यह नियम-300 में नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं है। मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर सदन परम्पराओं से चलता है। इसी पीठ पर बैठकर अगर किसी विधायक के घर में पानी नहीं आ रहा है तो उसको भी आपने सुना है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों के अनुरोध पर ही सुना है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं अनुरोध ही कर रहा हूं। मैं इस जटिलता में नहीं पड़ना चाहता हूं कि यह 300 में आती है या नहीं आती है। परम्परा के आधार पर आपका जब विवेक होता है तो 300 में वह भी आ जाती है जो 302 में भी नहीं आती है। मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

किस मद में किस विभाग से सम्बन्धित धन का दूसरे मद में प्रयोग किया गया है, यह सूचना पूरी तरह से अस्पष्ट है। यह आपत्ति है, इसका निराकरण कर दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, निराकरण सुन लीजिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब इस सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसे पारित करने से पहले उस पर वाद-विवाद होता है, चर्चा होती है फिर वह पारित होता है। जो पैसा जिस मद में खर्च के लिए पारित होता है उसी मद में उसे खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2003-04 के बीच समय में और वर्ष 2002-03 में ऐसा बहुत सा धन ऐसे मदों में खर्च किया गया है जो उन मदों में रखा ही नहीं गया था।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपने नहीं लिखा है कि यह किस विभाग का धन है ? किस मद का है ?

श्री प्रमोद कुमार-

वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 में पारित धन विधेयकों को जिन अपेक्षाओं के लिए पारित किया गया था जिससे जनहित का कार्य होना चाहिए था उस पैसे को जनहित के कार्यों में न खर्च करके अवैध भवनों के निर्माण में लगाया गया जो कि न ही अपरिहार्य था और न ही उस मद में आता था।

श्री अध्यक्ष-

कौन से निर्देश हुए इसमें आपने नहीं लिखा है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर आप मुझे सुनेंगे तो ही तो मैं आपको बता पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना में कमी है।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आती है।

श्री प्रमोद कुमार-

यह नियम-300 में आता है मैं यह आपको समझाकर संतुष्ट कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइये समय की कमी नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा कहना है कि धन विधेयक इस सदन में जनआकांक्षाओं के अनुरूप पारित होता है। जो आकस्मिकता निधि का धन होता है उसे प्रदेश में किसी विषम परिस्थितियों में खर्च करना होता है। अगर कोई सरकार इसे भवनों की साज-सज्जा में, उसके निर्माण में खर्च करे या पार्टी के एजेण्डें में खर्च करे तो यह सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यह एक तरह से इस सदन का अपमान है और जो धन हमें जिस नीति के अनुरूप मिलता है उस नीति के प्रतिकूल है। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर जायें तो यह आपको नजर आ जायेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम के अन्दर रहते हुए सारी बात बतायें।

श्री प्रमोद कुमार-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

जब मैं आपके साथ रहता हूं तभी नियम टूटता है वरना नहीं टूटता है। यह नियम-300 में नहीं आता है।

(इसी बीच श्री घनश्याम शुक्ल खड़े हो गये और व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

छोड़ दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

जब दो अक्लमंदों की बात हुआ करे तो बीच में न बोला करें।

आप किस कोर्ट के एडवोकेट हो। तो मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रदेश और इस सदन का अपमान हुआ है। धन विधेयक का दुरुपयोग हुआ है। जिन कारणों और जिन उद्देश्यों के लिए बजट पारित हुआ वह कुछ भवनों की साज-सज्जा की पूर्ति के लिए लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जिन उद्देश्यों और कार्यों के लिए बजट पारित था उसका दुरुपयोग हुआ है। जो आकस्मिकता निधि दैवी आपदाओं के लिए थी, कुछ बंगलों की साज-सज्जा के लिए उसका उपयोग किया गया तथा उससे कुछ ऐसे समारोह आयोजित किये गये जिसके लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। मैं औचित्य का प्रश्न उठाते हुए यह कहना चाहूंगा कि जब सदन कुछ उद्देश्यों को लेता है तो कुछ विधेयकों को पारित करता है खास तौर से धन विधेयक और अगर उसका उस उद्देश्य में खर्च न किया जाय तो वह गबन का मामला बनता है। मान्यवर, आप प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए यहां बैठे हैं ....

श्री अध्यक्ष-

हर विभाग के गबन का मामला नियम-300 में आयेगा। आप उस दायरे से बाहर जा रहे हैं। आप मेरे साथ नियम-300 पढ़ें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं पिछले 23 सालों से नियम-300 पढ़ रहा हूं। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-300 देखें। इसमें लिखा है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। इसमें कुछ धन किसी बंगले पर लगाया गया या नहीं लगाया गया इससे सदन का कार्य कैसे विनियमित होता है। आप अनावश्यक रूप से दायरे से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं ऐसी किसी मदों को नहीं छुउंगा जिससे कोई किसी को असुविधा हो।

श्री अध्यक्ष-

इसमें यह भी लिखा है कि अध्यक्ष के संज्ञान में हो तो हमारे संज्ञान में तो नहीं है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उस समय आप पीठ पर नहीं बैठे थे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप एक चौथाई समय तो जिज्ञासा ही करते रहते हैं। मुझे भी तो कुछ कहने का समय दें।

श्री अध्यक्ष-

जब आपत्ति होगी तो जिज्ञासा तो होगी ही।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने आज तक कौन सी नियम-300 की सूचनाओं को स्वीकार किया यह बतायें।

श्री अध्यक्ष-

आप ही की सूचना को कई बार हमने स्वीकार किया है।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने सिर्फ ग्राह्यता पर सुना है और बाद में उसको निरस्त कर दिया है। मान्यवर, यह जनहित का मुद्दा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जिस मद का था उसमें न खर्च करके कहीं और खर्चा किया है इससे इस सदन का अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके बार-बार निर्देशों के बावजूद भी यह आपको सुनना नहीं चाहते हैं और आपके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं यह उचित नहीं है। यह सदन का समय जाया कर रहे हैं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें अभी तो मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, धन का दुरुपयोग हुआ, चाहे मकान की साज-सज्जा में हुआ हो या अन्य किसी में हुआ हो, तो इसमें सदन का कोई भी समय बरबाद नहीं माना जायेगा, उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अगर सुसंगत नियमों में अपनी बात ले जायें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपके द्वारा दिए बहुत से निर्देश हमें देखने को मिले हैं, हम लोगों ने समय-समय पर उनका पालन भी किया है, लेकिन मान्यवर, आपने अभी तीन बार अपनी पीठ से विनिश्चय किया है लेकिन इसके बाद भी मान्यवर, बाते हो रही है तो मान्यवर, आपके विनिश्चय का कहां महत्व हुआ ? अब हम लोगों को आभास हो रहा है कि आपके विनिश्चय को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और आपके विनिश्चय की इस अवहेलना से हम सब दुःखी हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, बीच-बीच में मेरे और उनके अन्दर जो शंका उठी, मैं उसे सुन रहा हूं, विनिश्चय तो मैं बाद में प्रकट करूंगा, इसलिए इन्हें शान्तिपूर्वक सुन लें, लेकिन प्रमोद जी आप अपनी बात नियमों तक ही सीमित रखें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप जितनी मेरी बात समझ लेते हैं मैं उतनी नहीं समझ पाता हूं। मान्यवर, मेरा सिर्फ यही कहना है कि संविधान के अनुसार धन विधेयक की प्रक्रिया दी हुयी है, जो अनुच्छेद 196 से शुरू होकर 207 तक चलती है। धन विधेयक पारित होते वक्त उसका कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के तहत संविधान के जिस मद में वह पारित हुआ हो, उसी मद में वह धनराशि खर्च होनी चाहिए, जिस मद में इस विधान सभा ने स्वीकृत किया था, उस मद में न खर्च करके सदन से स्वीकृत धन का दुरुपयोग किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में आकस्मिकता निधि किन मदों में खर्च हुयी है, इसकी जांच आप करवा दें। आकस्मिकता निधि का उपयोग बाढ़ आने पर उसके राहत कार्यों में खर्च हुआ होता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए किया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन इसका उपयोग भवन निर्माण के लिए, अपने निजी समारोहों को मनाने के लिए किया गया हो, यह उस धन का दुरुपयोग है। आप इस सदन में घोषणा करें कि इसकी जांच होगी और जो लोग इसके लिए दोषी होंगे उन्हें दण्ड दिया जायेगा। उन्हें दण्ड मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी की यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, न ही यह सूचना भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद, न ही विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम अथवा प्राविधान से संबंधित है, यह किसी उपस्थित तात्कालिक कार्य से भी सम्बन्धित नहीं है, यह सूचना अस्पष्ट भी है, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) †

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- † छापे नहीं गये।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे वर्ष 2000-2001 (दो खण्डों में) व विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001 †

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त-लेखे वर्ष 2000-2001 (दो खण्डों में) दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से 08 नवम्बर, 2000 एवं 09 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 व विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001 उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)†

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)†

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 5 में कुछ नहीं है, मद संख्या-6 लेता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री गया चरण दिनकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन, जो कार्मिक विभाग एवं समिति के पूर्व प्रतिवेदनों में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का द्वादश प्रतिवेदन †

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) का द्वादश प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-83, 1983-84, 1992-93, 1994-95, 1995-96 तथा 1998-99 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :-† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-8, 9, 10 में कुछ नहीं है। अब मैं मद सं0-11 लेता हूं।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उप धारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, कि धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (xv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री जगदीश नारायण-

मान्यवर, मैं इसमें एक संशोधन चाहता हूं। इसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, उसको भी जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष-

अभी हमारे पास उसका प्रस्ताव नहीं आया है। शासन उसका प्रस्ताव देना चाहेगा तो शासन की ओर से प्रस्ताव आ जाएगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, कि धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (xv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

एक सूचना विशेष उल्लेख की है उसको बाद में ले लूंगा। पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने व्यापक लोकहित के एक प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गर्भस्थ भ्रूण के लिंग परीक्षण केन्द्रों की प्रदेश में बाढ़ सी आ गयी है। कोई भी ऐसा जिला और महानगर नहीं है जहां यह अल्ट्रासाउण्ड-तकनीक से गर्भस्थ भ्रूण की जांच करने के सेण्टरों की भरमार न हो। दुःख इस बात का है कि इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी एक जनहित याचिका में यह आदेश देना पड़ा है कि यह बहुत दुःख का विषय है कि इस प्रकार के जो क्लीनिकल सेण्टर्स हैं जहां सिर्फ धन उगाही के लिए यत्र-तत्र-सर्वत्र उनको खुली छूट है, यह एक दुःख का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से जो प्रकृति का संतुलन है पुरुष-स्त्री का, उसको खतरा उत्पन्न हो जायेगा और आगे आने वाले दिनों में सिर्फ पुरुष ही दिखायी देंगे स्त्रियों की संख्या नगण्य रह जायेगी, स्थिति ठीक नहीं होगी। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में यह भी लाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि इस प्रकार के जो क्लीनिकल टेस्ट सेण्टर सभी जिलों और महानगरों में सैकड़ों की संख्या में फलफूल रहे हैं और लोगों को भ्रूण टेस्ट के नाम पर, जो भ्रूण हत्या है और विशेषकर जो स्त्री भ्रूण होता है उसकी हत्या के लिए एक तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और लोग अच्छा धन देकर भी इस भ्रूण टेस्ट को करा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जो गर्भस्थ भ्रूण है वह स्त्रीलिंग है तो निश्चित रूप से लोग उसका गर्भपात करवा देते हैं, नष्ट करवा देते हैं और इस तरह से जो समाज का संतुलन है उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसमें बताना चाहता हूं उसमें यह निर्देश दिया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने किसी एक प्रदेश के विषय में यह राय नहीं जाहिर की है बल्कि भारतवर्ष के जितने भी प्रदेश हैं सब में यही स्थिति है उसमें उन्होंने चिन्ता प्रकट की है और उन सभी राज्य सरकारों को, जो अल्ट्रासाउण्ड तकनीकी भ्रूण टेस्ट केन्द्र हैं। उन पर सख्ती से नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कोई कठोर नियम बनावें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें। अन्त में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने आज पहली बार देखा कि नियम-301 की एक सूचना पर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और रैगिंग जैसे गम्भीर विषय पर उन्होंने अपनी राय प्रकट की। इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि लिंग परीक्षण अल्ट्रासाउण्ड तकनीक के जो सेन्टर्स हैं, जो बेखौफ होकर फल-फूल रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में अपना योगदान कर रहे हैं और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उसका अनुपालन भी कठोरता से प्रदेश में आप सुनिश्चित कराने की कृपा करें, धन्यवाद। अन्त में, चूंकि यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि सदन का सारा कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है और केन्द्र सरकार भी इस सिलसिले में नया कानून लाने पर विचार कर रही है, ऐसी घोषणा हुयी भी है और केन्द्र सरकार के मंत्री ने 2-3 दिन पहले कहा भी है। जहां तक अल्ट्रासाउण्ड मशीन के इस्तेमाल का सवाल है, जाहिर है, नया जमाना है, नये मर्ज हैं और नये इलाजों के लिये इस तरह की जांचों का होना बड़ा जरूरी है। हमारे भारत में दवा शुरू हो जाती है और कभी-कभी दवाओं से मरीज की हालत बिगड़ जाती है, इसलिए विदेशों में इसे पहले शुरू किया गया। आपको याद होगा कि हम आप साथ थे, मुझे ब्लडप्रेशर की दवा की जरूरत थी, तब आप ही ने मेरी मदद की थी। इसलिए जब तक जांच न हो जाय, किसी तरह का इलाज शुरू होना सम्भव नहीं है। इसलिए इस तरह की मशीनों की आवश्यकता है। इसमें और विकास होना चाहिये। लेकिन अगर बगैर किसी लाइसेन्स के कोई ऐसी मशीन चल रही है, क़ाम हो रहा है तो यह गैरकानूनी है। सरकार उस पर कड़ाई से अमल करेगी और जो लोग इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट में बेटा है या बेटी, यह पता कर हत्या कर रहे हैं तो यह कानूनन जुर्म है। मैं यही आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इस मामले पर सजग है और जहां कहीं भी इसके बारे में शिकायत मिलेगी तो किसी तरह की नरमी नहीं बरती जायेगी बल्कि सख्ती होगी। माननीय सदस्य के तवज्जो दिलाने पर और मानवता के

आधार पर सरकार का यह फर्ज भी है कि वह ऐसी चीजों को सख्ती से रोके। इस पर अब खास नजर रखी जायेगी और चूंकि यह विषय नियमों में नहीं आता, इसके बावजूद भी इसको सुनने के बाद इस पर पूरी सख्ती बरती जायेगी।

श्री सतीश महाना-

क्या मान्यवर, इसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता होती है ? जिन्होंने खोले हैं, उनके पास लाइसेंस हैं क्या ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यदि आप किसी विशेष स्थान, किसी विशेष केन्द्र के बारे में सूचना देंगे तो यह पता लगाकर बतायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सूचना में ही लिखा हुआ है कि इन लोगों ने आवश्यक लाइसेंस नहीं लिये हैं। माननीय आजम खां जी ने भी उसी को संदर्भित किया है।

माननीय श्याम देव राय चौधरी और माननीय मोहम्मद आजम खां, माननीय मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

*श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर, जनपद झांसी द्वारा गरोठा चौराहे से तहसील परिसर तक अवैध निर्माणाधीन 90 दुकानों का निर्माण कराया गया है जिसे हटवाने के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है। जनपद झांसी के नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत तहसील मऊरानीपुर के अभिलेखों में भूमि इन्तखाब, खतौनी नान जेड ए. खतौनी में अंकित नम्बर क्रमशः 700, 701, 702, 703, 704, 705 का कुल रकबा एक हैक्टेयर 615 एअर है। मोहाल सामलात जेरे इन्तजाम जिला परिषद् श्रेणी 15 गैर मुमकिन आबादी सड़क मकानात बगैरह सड़क पुख्ता डाक बंगला सड़क झांसी से नौगांव रोड अभिलेखों में बहुत पहले से अंकित है और मान्यवर, आज भी अंकित है। नगरपालिका परिषद् मऊरानीपुर के अध्यक्ष श्री हरिश्चन्द्र आर्य एवं श्री राजेन्द्र गुप्ता अविशासी अधिकारी ने लेखपाल सदर राना एवं एस0डी0एम0 व पूर्व जिलाधिकारी झांसी के श्री जगन्नाथ सिंह से सांठ-गांठ कर अवैधानिक तरीके से लगभग 100 दुकानों का निर्माण कार्य रात-दिन करवाया जा रहा था। जिसे वर्तमान में जिलाधिकारी श्री भाटिया द्वारा रोकवाया गया है यह दुकाने बनने से सरकारी रोड पर अतिक्रमण हो गया है जिससे एक्सीडेन्ट की कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मऊरानीपुर शहर में एस0डी0एम0 कोर्ट का मुख्य मार्ग है। जिससे इसकी शोभा खराब हो रही है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह जमीन कभी किसी पट्टे में नहीं दी जाती, यह सड़क की जमीन है और इसमें जो अतिक्रमण करवाया गया है उसे हटाया जाय और कानूनी कार्रवाई की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे देख लेना जरूरी है मैं इसे दिखवा लूंगा और यदि गलत तरीके से हुआ है तो कार्रवाई अवश्य की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रागी लाल अहिरवार और श्री मोहम्मद आजम खां को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

महाधिवक्ता का सदन में सबसे परिचय कराने का मुख्य मंत्री से अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता सदन में उपस्थित हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उनका सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है यद्यपि मैं उनसे परिचित हूं फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि सभी से उनका परिचय करा दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मैं सदन से इनका परिचय करा रहा हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के बरिष्ट अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र भाटिया महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हो गये हैं।

(सत्तापक्ष की ओर से ताली बजायी गई)

श्री मुलायम सिंह यादव-

विरोधी पक्ष से ताली नहीं बजी।

श्री अध्यक्ष-

मौन स्वीकृति लक्षणम्।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने के बाद बिजली में कटौती की गई है। अब बिजली दो पालियो में तहसील मुख्यालयों पर दी जाती है। रात 10 बजे से दिन में 12 बजे तक और दूसरी पाली में सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके कारण जो छात्र हैं बुनकर हैं जिन्होंने लाइट जलाने के लिये कनेक्शन ले रखा है उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब पूरे अम्बेडकर नगर जिले में 24 घण्टे बिजली रहती थी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अम्बेडकर नगर 132 सब स्टेशन जहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वहां पर 24 घण्टे बिजली रहती थी। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पालियों के आधार पर 16-16 घण्टे लगातार बिजली दी जाती थी लेकिन आज कटौती की गई है। माननीय आजम खां साहब जब खड़े होंगे तो बतायेंगे कि अम्बेडकर नगर में 16 घण्टे बिजली रहती थी या नहीं रहती थी। आज बिजली की समस्या के कारण बुनकरों का उद्योग पूरी तरह से ठप्प होने की कगार पर है। माननीय नेता सदन ने अपने भाषण के दौरान टांडा में इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी बुनकर अपने मीटर घाघरा नदी में फेंक देंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नियमित बिजली की आपूर्ति न होने से आज बुनकरों और छात्रों की हालत खराब है। पूरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अम्बेडकर नगर जनपद में जनता में आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, यह निश्चित रूप से कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करने योग्य है क्योंकि यह तात्कालिक समस्या है, अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का है और पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में बिजली की अनियमित आपूर्ति से संबंधित है। पहले 16 घण्टे बिजली रहती थी अब 14 घण्टे किया गया है। इस समस्या पर बातचीत करने के लिये आज इस सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मैं आपसे मांग करता हूं। हमारे तमाम साथी शोर मचा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी कोई समस्या होगी लेकिन अम्बेडकर नगर जनपद के जो सदस्य होंगे वह बताने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 घण्टे बिजली लगातार आपूर्ति की जाती थी। आज जब छात्रों और बुनकरों तथा लाइट कनेक्शन वालों को बिजली की जरूरत है तब बिजली की भारी कटौती हो रही है। दूसरी तरफ 14 घण्टे बिजली देने की घोषणा की गई है। पूरे प्रदेश में बिजली का उत्पादन घटा है तो कहां से बिजली लाकर 14 घण्टे की सप्लाई की जा रही है। इस पर भी मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा।

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री माता प्रसाद पाण्डेय पीठासीन हुए।)

*श्री अवधेश प्रसाद-

लालजी वर्मा जी सरकार के जाने से हताश और निराश हैं। इसलिये यह गलत बयानी कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर की जनता बहुत सुखी है।

श्री अधिष्ठाता-

अवधेश प्रसाद जी, जब पूरे प्रदेश में जब 8 घण्टे बिजली नहीं मिलती थी तब अम्बेडकर नगर में 24 घण्टे बिजली मिलती होगी ?

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता महोदय, एक तो खुशी इस बात की है कि माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की कि बिजली नहीं मिल रही है। आपकी पीठ से कहा गया और मैंने सुना कि जब पूरे प्रदेश में 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही थी तब किसी एक जगह 24 घण्टे बिजली मिल रही थी। एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां 24 घण्टे के दिन में 24 घण्टे बिजली मिलती थी। यही अन्याय प्रदेश की जनता के साथ हुआ था जब पूरा प्रदेश अकालग्रस्त होने के बावजूद किसी क्षेत्र विशेष में 24 घण्टे बिजली मिलती थी। बिजली की वजह से इस सदन में कई दिन कार्यवाही नहीं चल सकी और बिजली की वजह से पानी नहीं मिल रहा था लेकिन कोई तरस नहीं खाया। अंधेरे खेत रोशन कर दिये गये। एक-एक पार्क में इतनी रोशनी है कि 100 गांवों को इतनी रोशनी नहीं मिलती। लेकिन यह अन्याय आगे कितने दिन चलेगा, यह एक प्रश्न है जिस पर सदन को सोचना चाहिए। गरीब किसान के यहां एक बल्ब जल रहा है और बकाया रहा है तो हथकड़ियां डालकर जेल भेज दिया गया लेकिन जिनके ऊपर करोड़ों रुपये का बकाया है उनसे वसूलियाबी नहीं हुई। एक सरकार गई है जिसने पूरी 17 करोड़ जनता का भविष्य अंधकारमय कर दिया था। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां 24 घण्टे की जगह 25 घण्टे बिजली आती थी, यह सच बात है लेकिन हमें थोड़ा समय दीजिये और मौका दीजिये। जब 14 घण्टे बिजली देने का प्रश्न माननीय नेता जी ने सदन में रखा था तो पूरे सदन में मात्र एक सदस्य ने कहा था कि 14 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है। हम आपकी तरह फर्जी और झूठी घोषणायें नहीं करते कि 25 घण्टे बिजली देंगे। हमने 14 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है और 14 घण्टे बिजली मिल रही है। (मेजों की थपथपाहट) अगर कहीं बिजली नहीं मिल रही है तो माननीय सदस्य लिख कर दे दें उसको देखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 14 घण्टे बिजली मिले। इस पर एक व्यापक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। सरकार इस पर विचार ही नहीं कर रही है बल्कि कार्य योजना बना रही है ताकि पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बिजली रात में नहीं आ रही है केवल दिन में बिजली आती है। आपने कहा था कि मीटर उखाड़ कर घाघरा में फेंक दिये जायेंगे तो क्या आप बुनकरों के मीटर घाघरा में फिकवायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना माननीय नवाब सिंह नागर की है। नागर जी आप अपनी बात कहें।

*श्री नवाब सिंह नागर-

अधिष्ठाता जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो आज हो रहा है उस विषय पर बोलने का नियम-56 में अवसर दिया। जब से यह नयी सरकार बनी है गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जो दिल्ली से सटे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यवसायिक शहर हैं उनमें अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपराधियों को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सरकार आ गई है। जो पिछले आठ वर्ष तक वह छोटे-मोटे अपराध करते थे अब उनके हौसले बढ़ गये हैं इसी कारण से उन्होंने अपनी वसूली के लिये दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अभी कल ही की घटना है सारे अखबारों में छपा है हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र है वहां पर अशोक कुमार गर्ग का एक दूध का व्यापारी था जो अपनी फर्म पर बैठा था उससे पिछले हफ्ते 10 लाख रुपये की मांग की गई थी जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी फर्म पर आकर उनकी कनपटी पर गोली दाग कर सरे आम हत्या कर दी। इससे पहले एक दाल व्यापारी से 5 लाख रुपये की मांग की गई और उससे एक दिन पहले काली नदी पर टोल ब्रिज पर एक व्यापारी से डेढ़ लाख रुपये लूट लिये गये लेकिन इन घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ जिससे व्यापारियों में आक्रोश था। उसी कारण आक्रोशित भीड़ द्वारा डी0एम0 की गाड़ी को जलाने के लिये मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार गौतम बुद्ध नगर जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है और जहां पर ग्रेटर नोयडा और नोयडा क्षेत्र हैं यह सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर भी इसी प्रकार से अपराधों की बाढ़ शुरू हो गई है। सरदार सुरेन्द्र सिंह की, जब सरकार 8 तारीख को इस सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर रही थी इसी दिन जब वह अपने घर से फैक्ट्री जा रहे थे रास्ते में उनको गोलियों से भून दिया गया आज तक अपराधियों का पता नहीं लग पाया है। इस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में यह भावना घर कर गई है कि अब हमारी जान माल सुरक्षित नहीं है। मुख्य मंत्री जी जहां बार-बार घोषणा कर रहे हैं कि हम पूंजी निवेश करायेंगे नए उद्यम लगायेंगे लेकिन जो पुराने उद्यमी हैं वही अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। दादरी नगर में एक-एक व्यापारी को चार दिन पहले लूट लिया गया दादरी रेलवे के पास लखनावी गांव के किसान को डाक्टर के यहां लूट लिया गया गौतमबुद्ध नगर में न्यायालय में सुरेन्द्र भाटी नामक एक व्यक्ति पेशी पर आये थे उनको गोली मारकर उड़ा दिया गया। इसके कारण पूरे पश्चिमी क्षेत्र में एक भय और आक्रोश का वातावरण व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें।

(समय 12 बजकर 05 मिनट)

श्री नवाब सिंह नागर-

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हैं यह सारे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और नागरिकों से जुड़ा हुआ मामला है अगर प्रदेश के व्यापारी व नागरिक यहां पर अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो उद्यमी यहां पर आने को तैयार नहीं होंगे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है। वहां पर डी0 एम0 की गाड़ी को कल फूंक दिया गया । यह महत्वपूर्ण विषय है ? इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें व व्यापारियों की सुरक्षा के लिये कदम उठाये जायें, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठता-

बाजपेयी जी, इसी विषय पर आपने भी सूचना दी है। सारी बातें तो आ गई हैं अब कोई और तथ्य रखने की आवश्यकता तो नहीं है।

* डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मैं कुछ नए तथ्य रखूंगा। यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है इस पर श्री नवाब सिंह नागर जी ने जो बातें रखीं उसको मैं नहीं रखूंगा यह क्यों ग्राह्य है व इस पर सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं इसके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आप अनुमति देंगे तो दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। अधिष्ठता जी आपने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मूल घटना के बारे में माननीय सदस्य ने विस्तार से बताया है मैं केवल इतनी अपेक्षा करना चाहता हूं और शासन से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं इस समय सरकार का परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन का समय है इस समय कुछ असामाजिक तत्व सिर उठा रहे हैं यह तत्व इस सीमा तक सर न उठा लें कि भविष्य में लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगें। इस घटना को प्रारम्भिक घटना मानकर इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए यह मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। हापुड़ में शासन के प्रति कितना रोष उभर कर आया है वहाँ पिछले हफ्ते से पैसा मांगा जा रहा था और पैसा न देने के कारण हत्या कर दी गई जिस तरीके से दुःसाहसिक कार्यवाही की गई है सरकार को भी चाहिए कि वह ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए दुःसाहसिक कार्य करके दिखाए यही मेरा आग्रह है। और मैं चाहता हूँ कि सदन की शेष कार्यवाही रोककर विस्तार से इस पर चर्चा कराई जाए। जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकतत्व सिर उठा रहे हैं उनके सिर को कुचला जा सके। इसी के साथ मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता जी, इस हादसे की गम्भीरता से किसी को इन्कार नहीं हो सकता है। यह भी सच है कि अभी सरकार को सत्ता में आये चन्द रोज हुए हैं और यह इल्जाम लगाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा कि सरकार के आने की वजह से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिला है। मैं गुजरे हुए कल के बारे में कोई बात कह कर माहौल को कटु नहीं करना चाहता हूं । इसलिये कि हत्या हुई है और जिन्दगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन्दगी के नुकसान से बढ़कर कोई नुकसान नहीं। व्यापारी की हत्या हुई है। व्यापारियों के सिलसिले में सरकार की ओर से काम करने की सोच और तरीका बिल्कुल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पष्ट है कि हर तरह का प्रोटेक्शन, हर तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए। व्यापारियों के साथ किसी तरह की, किसी भी स्तर पर कोई नाइन्साफी न हो और ऐसा बर्ताव न हो जो नजरअंदाज हो, बल्कि नजर आये। रिपोर्ट मेरे पास है। पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा दूरभाष पर यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 16-9-2003 को दूध व्यापारी श्री अशोक गर्ग की हत्या के सम्बन्ध में वादी श्री तरुण कुमार गर्ग पुत्र अशोक कुमार गर्ग निवासी जवाहरगंज, हापुड़ की तरफ से मु0 अ0 सं0407/2003 धारा-302 आई0पी0सी0 दर्ज कराया गया है। इस हत्या की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधिकारियों की तीन टीमें गठित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उल्लेखनीय है कि नगर के व्यापारियों द्वारा किये गये पथराव के सम्बन्ध में एस0 एस0 आई0 कोतवाली, हापुड़ द्वारा मु0 अ0 सं0 408/2003 अन्तर्गत धारा-147/148/149/307/353/352 व 338 आई0 पी0 सी0 तथा 7 क्रि0 ला0 एमेण्डमेंट एक्ट दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी, गाजियाबाद की गाड़ी को जलाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के चालक श्री चरण सिंह द्वारा मु0 अ0 सं0 409/2003 धारा 147/148/149/435 आई0 पी0 सी0 कोतवाली, हापुड़ में दर्ज कराया गया है। हापुड़ टोल ब्रिज काली नदी पर 1.61 लाख की लूट की घटना में दिनांक 16-9-2003 को लूट की पूरी धनराशि 1.61 लाख रुपये बरामद की जा चुकी है तथा घटना में प्रकाश में आये दो मुल्जिमों में एक धर्मपाल उर्फ मनोज पकड़ा गया है। लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल तथा 315 बोर का एक देशी कट्टा बरामद किया जा चुका हैं हापुड़ कस्बे में दाल व्यापारी से 5 लाख की लूट के सम्बन्ध में लूटी गई सम्पत्ति की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस रिपोर्ट से यह अंदाज हो गया होगा कि पुलिस और कानून ने किसी तरह से कहीं कोई कामचोरी और सुस्ती नहीं दिखाई है बल्कि चुस्ती से पूरी कार्यवाही की है। अगर कहीं ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर कोई कमी है तो उस सिलसिले में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो बात कहीं है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन तक आप सत्ता में रहे। हमने इस सदन के अन्दर विश्वास मत पर अपने विचार रखे और उसका पूर्ण पालन कर रहे हैं। हमने यह कहा था कि हमारी सरकार काम से बोलेगी कोई प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी कोई भी अपराध करेगा तो उसको बक्शा नहीं जायेगा। आप शायद उदाहरण नहीं दे सकेंगे। दो उदाहरण मैं दे सकता हूं पहली और नई सरकार के समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख लेखपाल सिंह यादव उन्होंने व्यापारियों का अपहरण किया लेकिन सरकार ने उसको कितनी गम्भीरता से लिया। सरकार ने उन्हें गम्भीरता से गिरफ्तार करने का प्रयास किया। जब पता चला कि वे दूसरे प्रदेश में चले गये तो सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर दिया और समाजवादी पार्टी से उसी दिन निकाल दिया गया। माननीय सदस्य जानते न हों तो बतायें। इसीलिये हमने कहा था कि यह सरकार सबकी है। इसी तरह से पहली सरकार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की गलती नहीं थी लेकिन सांसद श्री बेनी प्रसाद वर्मा उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने जांच करवाई। इटावा का मामला था। उसे गिरफ्तार करके समाजवादी जन सभा के अध्यक्ष को जेल में भेज दिया। आपको पता होगा एक दुखद घटना हुई हमारे भाई रामपाल जी के लड़के को गोली हमारे भतीजे के द्वारा लगी मुझे दिल्ली में खबर दी गई। मैंने कहा जब तक यह लड़का गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जायेगा तब तक मैं डेड बॉडी में नहीं जाऊंगा। महाभारत में

कहा गया है "अन्यायी को भी शरण देना जुर्म है।" कानून के सामने सब बराबर हैं। हापुड़ के बारे में बतायेंगे कि कार्यवाही कम है तो जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है जिन्होंने अपहरण किया है, जिन्होंने हत्या की है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। पुलिस के लोग, जिलाधिकारी किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा किसी तरह से बचेंगे नहीं अगर उन्होंने भी कानून अपने हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य और मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

चौहान जी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर उसकी ग्राह्यता पर बोला जाता है पूरा विवरण उसके वक्तव्य में आना चाहिए। सारी बातें बताई जाती है। आप संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें।

*श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता, हूं। मान्यवर, मेरे जनपद मऊ में 10 करोड़ का घोटाला हुआ बिना काम कराये पूरा का पूरा भुगतान लिया जा चुका है। इसके लिये 3 मई को माननीय मुंख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर भी कहा गया है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये कि आठ दिन के अन्दर इसकी जांच करें, इस पर कार्यवाही करें और रिपोर्ट भेजें इसमें जांच हुई समितियां बनीं समिति में अधिकारी एस0 डी0 एम0 और इंजीनियर को मिलाकर 5-5 आदमियों की समिति बनाई गई, इन समितियों ने अपनी जांच रिपोर्ट दी एक करोड़ 42 लाख का घोटाला हुआ है, समर्थन रोजगार योजना के अन्तर्गत 10वें वित्त आयोग और 11वें वित्त आयोग की एस0 आर0 वाई0 योजना में जांच करने वाले लोगों ने कहा कि एक भी काम नहीं हुआ है। रोजगार योजना में काम होना बताया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें मजदूर काम किये होंगे इससे पता चल जायेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है मेरा निवेदन है कि जो जांच हुई वह मुख्य मंत्री जी के यहां आये।

(व्यवधान)

इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

मान्यवर, जांच उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई इसमें मुख्य विकास अधिकारी मऊ जनपद के सी0 डी0 पी0 और पी0 डी0 तमाम इंजीनियर, जिला परिषद् के अध्यक्ष, तमाम लोगों को आरोपित करते हुए पत्र भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आग्रह किया गया है। कुछ दिन बाद पता चला कि उस जांच रिपोर्ट को दूसरी एजेन्सी को भेजा गया है जिसमें सी0 डी0 ओ0 दोषी हों, जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी दोषी हों, इस जांच को जिला परिषद् की टी0 ए0 सी0 से कराने को दे दिया गया जिसकी जे0 ई0 और ए0 ई0 जांच करता है। उसके बाद हम लोग तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से मिलने गये तब तीसरी बार जांच के आदेश दिये गये लेकिन तब से वह जांच लम्बित पड़ी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच किसी सक्षम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एजेंसी से करायी जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये। इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय हो नहीं सकता इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, साथी फागू चौहान जी की हालत पर तरस आ रहा है। मैं चाहूंगा कि उनकी मदद हो, कैसे दर्द भरे लहजे में उन्होंने दास्तान सुनायी है कि सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत कच्चे कार्यों के लिये दशवें और 11वें वित्त आयोग द्वारा जितना भी धन मिला था, उसका दुरुपयोग हो गया। धन कहां गया, मुझे भी सुनकर कष्ट हुआ आपकी ही सरकार थी। आप मुख्य मंत्री के पास गये फिर भी न्याय नहीं मिला। नियमों में तो नहीं आता लेकिन न्याय आपको मिलेगा, हमें आपसे हमदर्दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैं श्री आजम खां द्वारा दिये गये आश्वासन और फागू चौहान जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

हापुड़ के दूध व्यापारी श्री अशोक कुमार गर्ग की हत्या पर मुख्य मंत्री द्वारा आर्थिक सहायता की घोषणा विषयक सूचना

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय सदन को सूचना देना चाहता हूं, इसके लिये माननीय नेता जी ने निर्देश किया है। अभी नियम-56 की सूचना के अन्तर्गत हापुड़ में दूध व्यापारी अशोक कुमार गर्ग की हत्या का जिक्र आया था और मैंने अपनी बातचीत में अर्ज किया था कि जिन्दगी से बड़ी कोई चीज नहीं है और हत्या से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। माननीय नेता जी ने एक लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री मुंशी लाल गौतम की सूचना चयनित नहीं हुई है अतः अस्वीकृत हुई ।

कुछ समय तक सदन को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखेदव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश कुमार,श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह और श्री जगदीश नारायण राय की सूचना है। 12-25 पर कुछ व्यवस्था के लिये मैं सदन को 12-35 तक के लिये स्थगित करूंगा। मेरा अनुरोध है कि कार्य-सूची के जो मद हैं वह हो जायें उसके बाद सुन लिया जायेगा।

श्री जगदीश नारायण राय-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

तब तक माननीय मंत्री आजम खां जी एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, वह रख दें ।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है

कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त संस्थान में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त संस्थान में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कुछ समय तक सदन को स्थगित किये जाने की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही अपराह्न 12-35 बजे तक स्थगित की जाती है। 12-35 पर हम फिर बैठेंगे।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 35 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अम्बेडकर गांवों के विकास कार्य को ठप्प कर दिये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पांच मिनट का समय अभी शेष है यदि आप अपनी बात समाप्त कर दें तो आपकी विशेष उल्लेख वाली सूचना ले लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि आप चाहें तो आगे ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

या आप प्रारम्भ कर दें इसके बाद बीच में स्थगित करके और मद ले लेंगे फिर उसके बाद आप उधर ले लीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक बहुत प्रभावी योजना अम्बेडकर गांव विकास योजना जिसकी शुरुआत पूर्व में नेता सदन सुश्री मायावती जी द्वारा ही की गयी थी उसको प्रभावी तरीके से सुश्री बहन मायावती जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में माननीय विधायकों की संस्तुति पर दस-दस गांव अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित करके विकास कार्य को कराने का काम किया था और सत्र 2003-2004 के लिये सुश्री बहन मायावती की सरकार ने इस मद में अलग से बजट भी प्राविधानित किया था। लेकिन वर्तमान में उन दस-दस गांवों को जो माननीय सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद् के प्रस्ताव पर चयनित किये जाते थे उनके विकास कार्य को स्थगित करने का काम किया जा रहा है। उसको निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। जो मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर गांव विकास योजना के माध्यम से माननीय सदस्यों के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जिन दस गांवों को चयनित किया जाता था उसमें प्राथमिकता के आधार पर सड़क, बिजली, पानी इण्डिया मार्का नल, स्कूल, पंचायत भवन, खड़ण्जा तथा अंन्य विकास के कार्य बड़े पैमाने पर कराये जाते थे और उससे पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा था और मान्यवर, इन अम्बेडकर गांवों में रहने वाले सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को उसका भरपूर फायदा होता था।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं, क्योंकि जो गलत तथ्य दिये जा रहे हैं उनका तो हमें खण्डन करना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बाद में खण्डन दे दीजियेगा। कृपया इन्हें सुन लें। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि पांच मिनट खाली बैठने से अच्छा है, आप अपनी बात कह दें, इसलिये वह बोलने लगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही खुद ही इस योजना का चयन किया था और उसे लागू किया था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जब उन्होंने बजट में 10 हजार अम्बेडकर गांवों को घोषित किया था, उसके बाद जब हम लोगों ने औचित्य का प्रश्न उठाया था तो.....

श्री अध्यक्ष-

आप अभी बैठ जायें बाद में अपनी बात कह लीजियेगा, हम मद संख्या-20 के बाद सुनेंगे। अब मद संख्या-14 को लेने दें।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों पर बजट भाषण-माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष.....

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रस्तुत कर दीजिये, पीठ की अनुमति से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक को तीन महीने के लिये पेश करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 भी पढ़ दीजिये। आप उसे भी प्रस्तुत कर दीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(लेखानुदान की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वित्तीय वर्ष 2003-2004 का बजट, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह मात्र अन्तरिम बजट है जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान ही सम्मिलित किये गये हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली सरकार ने दिनांक 04 मार्च, 2003 को अन्तरिम बजट ही प्रस्तुत किया था और वित्तीय वर्ष 2003-2004 के प्रथम छः माह के वचनबद्ध व्यय को पूरा करने के लिये लेखानुदान प्राप्त किया था।

सम्पूर्ण बजट इस समय माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, वर्तमान सरकार ने जन सेवा का गुरूतर दायित्व गत माह के अन्त में ही ग्रहण किया है। जिन अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के आधार पर हमें यह दायित्व सौंपा गया है, वह हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। इनमें कृषि, सिंचाई, उद्योग-व्यापार, विद्युत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भ्रष्टाचार समाप्त कर स्वच्छ तथा कुशल प्रशासन की स्थापना के लिए हम कृत संकल्प हैं।

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी वर्गों एवं समुदायों की सरकार है। इसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हैं बिना भेदभाव के लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर एवं समस्त संसाधनों को मितव्ययिता पूर्वक एकजुट करके हम सम्यक् दृष्टि से प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत् हैं, तथापि हमारे इन प्रयासों का विशेष केन्द्र बिन्दु समाज के पिछड़े व निर्बल वर्ग हैं।

जन आकांक्षाओं को मूर्त्तरूप में परिणित करने का माध्यम हम सम्पूर्ण बजट 2003-2004 को बनायेंगे, जिसके चिन्तन व परिकल्पन में कुछ समय लगना स्वाभाविक हैं लेकिन हमने इस दिशा में संकेत के रूप में गन्ना मूल्य का भुगतान 30 सितम्बर, 2003 तक करने, सरकारी अस्पतालों में बाह्यरोगियों के पर्चों का मूल्य घटाकर तात्कालिक प्रभाव से एक रुपया करने तथा भर्ती मरीजों को

निःशुल्क शैय्या उपलब्ध कराने, राज़ विश्वविद्यालयों, शासकीय एवं सहायता-प्राप्त महाविद्यालयों/ विद्यालयों में छात्रों की बढ़ी हुई फीस को वापस लेने और ग्रामीण तथा तहसील क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दे दिये हैं। हमारा यह प्रारम्भिक प्रयास पूर्ण तो नहीं लेकिन आशा की किरण स्वरूप तो है ही, जिसके प्रकाश में आप सबके सहयोग से हमारी सरकार के जनकल्याण के सभी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः संविधान के अनुच्छेद-206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर प्रस्तुत अन्तरिम बजट पर आधारित व्यय के लिए अतिरिक्त तीन माह का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

मान्यवर,

यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कुल अट्ठावन हजार चार सौ पच्यासी करोड़ चौंतीस लाख रुपये (रुपये 58485.34 करोड़) की प्राप्तियां होंगी जिसमें तैंतीस हजार दो सौ उन्नासी करोड़ इकसठ लाख रुपये (रुपये 33279.61 करोड़) की राजस्व प्राप्तियां, चौबीस हजार पांच सौ बाइस करोड़ बारह लाख रुपये (रुपये 24522.12 करोड़) की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा छः सौ तिरासी करोड़ इकसठ लाख रुपये (रुपये 683.61 करोड़) की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों की तैंतीस हजार दो सौ उन्नासी करोड़ इकसठ लाख रुपये (रुपये 33279.61 करोड़) की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से चौदह हजार पांच सौ उन्तालीस करोड़, पांच लाख रुपये (रुपये 14539.05 करोड़), केन्द्रीय करों में राज्यांश से बारह हजार दो सौ सात करोड़ चौबीस लाख रुपये (रुपये 12207.24 करोड़), करेतर राजस्व से एक हजार सात सौ सैंतालीस करोड़ नवासी लाख रुपये (रुपये 1747.89 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में चार हजार सात सौ पच्चासी करोड़ तैंतालीस लाख रुपये (रुपये 4785.43 करोड़) के अनुमान सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से चौबीस हजार पांच सौ बाइस करोड़ बारह लाख रुपये (रुपये 24522.12 करोड़) की अनुमानित प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य चार हजार एक सौ छियासी करोड़ तैंतालीस लाख रुपये (रुपये 4186.43 करोड़) तथा अन्य स्रोतों से प्राप्य बीस हजार तीन सौ पैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये (रुपये 20335.69 करोड़) के ऋण सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष में फिलहाल कुल बासठ हजार दो सौ पचास करोड़ छब्बीस लाख रुपये (रुपये 62250.26 करोड़) का व्यय अनुमानित है जिसमें से नौ हजार पाँच सौ अड़तालीस करोड़ बयासी लाख रुपये (रुपये 9548.82 करोड़) का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा बावन हजार सात सौ एक करोड़ चवालीस लाख रुपये (रुपये 52701.44 करोड़) का व्यय आयोजनेतर पक्ष में होगा। आयोजनेतर पक्ष के कुल बावन हजार सात सौ एक करोड़ चवालीस लाख रुपये (रुपये 52701.44 करोड़) के व्यय में पैंतीस हजार आठ सौ चवालीस करोड़ सड़सठ लाख रुपये (रुपये 35844.67 करोड़) का व्यय राजस्व लेखे तथा सोलह हजार आठ सौ छप्पन करोड़ सतहत्तर लाख रुपये (रुपये 16856.77 करोड़) का व्यय पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है। पूंजी लेखे के व्यय के अनुमानों में कुल बाइस हजार एक सौ नवासी करोड़ तिरसठ लाख रुपये (रुपये 22189.63 करोड़) का व्यय निहित है, जिसमें ऋणों के प्रतिदान के लिये सोलह हजार सात सौ अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख रुपये (रुपये 16728.34 करोड़), ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये सात सौ करोड़ अड़तीस लाख रुपये (रुपये 700.38 करोड़) एवं पूंजीगत परिव्यय के लिये चार हजार सात सौ साठ करोड़ इक्यानबे लाख रुपये (रुपये 4760.91 करोड़) की राशियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रकार वर्ष 2003-2004 में राज्य की समेकित निधि मे सम्प्रति कुल तीन हजार सात सौ चौंसठ करोड़ बानबे लाख रुपये (रुपये 3764.92 करोड़) के घाटे का अनुमान है। लोक लेखे के अन्तर्गत तीन हजार चार सौ निन्यानबे करोड़ छब्बीस लाख रुपये (रुपये 3499.26 करोड़) की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को सम्मिलित करने पर समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम दो सौ पैंसठ करोड़ छियासठ लाख रुपये ऋणात्मक (रुपये (—) 265.66 करोड़) हो जाने की सम्भावना है।

उपर्युक्त अनन्तिम अनुमानों के आधार पर बजट वर्ष का चार सौ सात करोड़ इकत्तीस लाख रुपये (रुपये 407.31 करोड़) का प्रारम्भिक शेष एक सौ इकतालीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये (रुपये 141.65 करोड़) के अन्तिम शेष से समाप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा।

चूंकि यह अन्तरिम बजट ही है, अतः मैं इस चरण में माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण अपने विचार एवं सुझाव उस समय दे सकेंगे जब मैं माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2003-2004 के लिये सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करूंगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन द्वारा इस अन्तरिम बजट को अनुमोदन प्रदान करते हुए लेखानुदान पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं वर्ष 2003-2004 का बजट तथा अतिरिक्त 3 माह की अवधि के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, उस पर विचार तथा मतदान का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 17 सितम्बर, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ-1 से 7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 8004,23,86,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रतियां वितरित की गयीं) †

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 17 सितम्बर, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ-1-7 में दिये हुऐ प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 8004,23,86,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- † छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियाँ बाँट दी जाय।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003

01 अप्रैल, 2003 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2003-2004 के लिए 17602,11,31,000 रुपये का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 17602,11,31,000 रुपये (सत्रह हजार छः सौ दो करोड़ ग्यारह लाख इकत्तीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

नोट :- †† दि0 18-9-03 के असाधारण बजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	77677	3	77680
		पूंजी :	--	--	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	258610	112500	371110
		पूंजी :	--	112500	112500
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	112191	100	112291
		पूंजी :	--	--	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	45318	13	45331
		पूंजी :	--	--	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	73510	--	73510
		पूंजी :	--	--	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	103859	10	103869
		पूंजी :	--	--	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1	--	1
		पूंजी :	222501	--	222501
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	127850	--	127850
		पूंजी :	1875	--	1875
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1791635	417	1792052
		पूंजी :	1036342	--	1036342
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	162659	991	163650
		पूंजी :	4750	875	5625
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	1998825	6128	2004953
		पूंजी :	589002	--	589002

1	2			3		
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व : पूंजी :	802467 3693018	325 --	802792 3693018
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व : पूंजी :	2226036 --	5 --	2226041 0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व : पूंजी :	475348 8945	63 --	475411 8945
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व : पूंजी :	44004 5000	5 --	44009 5000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व : पूंजी :	67710 --	-- --	67710 0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व : पूंजी :	117718 24969	26292 37750	144010 62719
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	3528 --	-- --	3528 0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व : पूंजी :	2150 --	31705 --	33855 0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व : पूंजी :	309730 8421512	500021 2250013	809751 10671525
22	खेल विभाग	राजस्व : पूंजी :	39470 10481	-- --	39470 10481
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व : पूंजी :	132510 43696	475 511	132985 44207
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व : पूंजी :	765636 --	4552 12605	770188 12605
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व : पूंजी :	285248 232288	200 --	285448 232288
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व : पूंजी :	5766885 341251	1415 683	5768300 341934
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व : पूंजी :	273479 100	-- --	273479 100
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	151631 --	-- --	151631 0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व : पूंजी :	-- --	7754 --	7754 0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	3117 --	-- --	3117 0

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	469241	6	469247
		पूंजी :	--	--	0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व :	2092287	125	2092412
		पूंजी :	184030	--	184030
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	330032	--	330032
		पूंजी :	1750	--	1750
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	146149	6	146155
		पूंजी :	12500	--	12500
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1412346	20	1412366
		पूंजी :	8375	--	8375
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	451079	175	451254
		पूंजी :	--	--	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	--	--	0
		पूंजी :	549150	--	549150
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	17395	--	17395
		पूंजी :	--	--	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	9050	--	9050
		पूंजी :	--	--	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	103254	--	103254
		पूंजी :	447500	--	447500
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	63591	--	63591
		पूंजी :	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	258610	128616	893817
		पूंजी :	84402	--	84402
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	85409	--	85409
		पूंजी :	8662	--	8662
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	18346	--	18346
		पूंजी :	--	--	0
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	306306	--	306306
		पूंजी :	325000	--	325000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2768	--	2768
		पूंजी :	--	--	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	64313	26	64339
		पूंजी :	9920	--	9920
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	423583	51	423634
		पूंजी :	15625	--	15625

1	2			3		
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	1000774	--	1000774
		पूंजी :	1381	--	1381
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	473822	88	473910
		पूंजी :	73625	--	73625
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	423550	423325	846875
		पूंजी :	--	--	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1465447	3400	1468847
		पूंजी :	778	263	1041
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	391	--	391
		पूंजी :	25	--	25
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1263917	100	1264017
		पूंजी :	--	--	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	68414	2383	70797
		पूंजी :	13338	--	13338
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	6667	--	6667
		पूंजी :	117887	--	117887
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	1214016	83	1214099
		पूंजी :	1203579	9167	1212746
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	53492	--	53492
		पूंजी :	2850	--	2850
60	वन विभाग	राजस्व :	293444	93	293537
		पूंजी :	108569	--	108569
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	4692741	36053423	40746164
		पूंजी :	145000	55310960	55455960
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	6792049	8734	6800783
		पूंजी :	250000	--	250000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	148413	163	148576
		पूंजी :	--	--	0
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	1896	--	1896
		पूंजी :	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व :	149651	--	149651
		पूंजी :	--	--	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	2194	280562	282756
		पूंजी :	--	--	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	24547	742	25289
		पूंजी :	--	--	0

1	2		3		
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	62418	1324	63742
		पूंजी :	--	--	0
69	विधायी एवं संसदीय कार्य	राजस्व :	--	--	0
	विभाग (विधान मण्डल)	पूंजी :	2500	--	2500
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व :	69940	--	69940
	विभाग	पूंजी :	625	--	625
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक	राजस्व :	6832253	--	6832253
	शिक्षा)	पूंजी :	--	--	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक	राजस्व :	5202204	68	5202272
	शिक्षा)	पूंजी :	37818	--	37818
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	1281129	6	1281135
		पूंजी :	11875	--	11875
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्व :	98316	--	98316
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	पूंजी :	22233	--	22233
	परिषद्)				
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	189572	--	189572
		पूंजी :	--	--	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	209186	--	209186
		पूंजी :	7027	--	7027
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	368288	--	368288
		पूंजी :	--	--	0
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	231288	--	231288
	(विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग	पूंजी :	8750	--	8750
	कल्याण)				
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	1495863	--	1495863
	(समाज कल्याण एवं	पूंजी :	--	--	0
	अनुसूचित जातियों का				
	कल्याण)				
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	6749	3	6752
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी :	3063	--	3063
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	28082	1953	30035
		पूंजी :	--	--	0
83	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	--	--	0
	(अनुसूचित जातियों के लिये	पूंजी :	277333	--	277333
	विशेष घटक योजना)				
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	1006	--	1006
		पूंजी :	--	--	0

1	2		3		
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	3408	--	3408
		पूंजी :	--	--	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	40820	1	40821
		पूंजी :	--	--	0
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	4009	--	4009
	(निदेशालय)	पूंजी :	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	487182	251	487433
	(व्यापारकर)	पूंजी :	13116	--	13116
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	29336	--	29336
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	--	--	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	105004	3	105007
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	--	--	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	31256	1	31257
		पूंजी :	5052	--	5052
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1485591	1500	1487091
		पूंजी :	192642	--	192642
94	सिंचाई विभाग (निर्माण	राजस्व :	400218	636546	1036764
	कार्य)	पूंजी :	1542981	6667	1549648
	योग	राजस्व :	59717695	38236751	97954446
		पूंजी :	20324691	57741994	78066685
	महायोग		80042386	95978745	176021131

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो एक बात कहना चाहता हूं । मैं विपक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि अपने जीवन में पहली बार देखा कि लेखानुदान पास हो गया, अनुपूरक पास हो गया, उससे यह लोग पूरे मन से, आत्मा से पूरी तरह सहमत हैं, यह इसलिये कुछ नहीं बोले क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

यह विपक्ष की विशाल हृदयता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जो यह नहीं कर भी रहे हैं, वह इनकी मजबूरी है क्योंकि इनकी लगाम कहीं और है लेकिन यह पूरे मन से हमारे साथ है।

अम्बेडकर गांवों के विकास कार्यों को ठप्प कर दिये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं मान्यवर, अनुरोध यह कर रहा था कि माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत पूरे प्रदेश में समस्त विधान सभाओं से जिन अम्बेडकर ग्रामों को चयनित करके विकास कार्य कराया जाता था, आज वह कार्य अवरुद्ध हो गया है। इससे पूरे प्रदेश में विशेष रूप से वे माननीय सदस्य, जिन्होंने अपनी विधान सभाओं में उन गांवों का प्रस्ताव दिया था, जनता के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता थी, आज वह झूठे साबित हो रहे हैं और साथ ही साथ विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। यद्यपि इस विकास कार्य से समाज के सभी लोग लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन कार्य रोक दिये जाने से पूरे के पूरे गांव और वहां के वासी सभी समाज के लोग सभी जातियों और धर्मों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे माननीय सदस्यों को भी आज झूठा साबित होना पड़ रहा है, आज पूरे प्रदेश में असन्तोष है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा कराया जाय। जो अम्बेडकर योजना थी इसकी शुरुआत 1990 में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब हुई थी और इनके रहते हुए ही यह योजना निष्प्रभावी की जा रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अम्बेडकर गांवों के विकास कार्य को जिस तरीके से कराया जा रहा था उसे उसी प्रभावी तरीके से कराया जाय अन्यथा निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा और उसके गम्भीर दुष्परिणाम भी होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री बीजू पटनायक-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा, कृपया आप बैठ जायें।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मौर्या जी की बात का उत्तर देने के लिये कहा था।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को पता है फिर भी मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर गांवों को बसाने का, निर्माण का, विकास करने का फैसला 1989 में ले लिया गया था। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि उस समय बी0 एस0 पी0 का कहीं अता-पता नहीं था।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया आप लोग शान्त रहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कहना उचित होगा कि कुछ लोग दासता मे जकड़े हुए हैं, वह लोग जरूर बोलेंगे। मैं कह रहा था कि उस समय बी0 एस0 पी0 का कहीं अता-पता नहीं था, यह सच्चाई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उस समय बी0 एस0 पी0 के 13 माननीय सदस्य थे इसलिये यह कहना कि अता पता नहीं था यह बहुत भ्रामक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कोई अता-पता नहीं था। अम्बेडकर साहब की पुण्य तिथि पर ही हमने यह घोषणा की थी और 5 हजार अम्बेडकर गांवों को बसाने का काम किया था लेकिन उसका लक्ष्य यह नहीं था कि एक जाति और जाति में भी उपजाति के ही गांव लिये जायेंगे, यह धारणा नहीं थी बल्कि धारणा यह थी कि जिनका उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, अपमान की जिन्दगी जिये हैं जिन्हें आजादी के बाद कुछ सुविधायें नहीं मिल पायीं थीं, उन्हें विशेष अवसर देने के लिये यह योजना बनायी गयी थी लेकिन उसका लक्ष्य था कि जहां दलित ज्यादा हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा लेकिन उत्तर प्रदेश किसी एक जाति का नहीं है यह बहुत जातियों का है बहुत धर्मों के मानने वालों का है, इसलिये यह सत्य कभी नहीं था। लेकिन अब जो गांव बसाये गये हैं, कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि पूरे के पूरे गांव बदल दिये जायं। जो हमने 5 हजार गांव चयनित किये थे वे पूरे के पूरे गांव बदल दिये गये। जो दो-चार गांव इनकी इच्छा के अनुकूल थे उनको ले लिया गया। हमने सोचा था कि डा0 अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वह राष्ट्रीय नेता

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

थे, पूरे देश के नेता थे। इसलिये हमने ऐसा किया था कि अन्य जातियों को भी लाभ मिले। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि जो अभी गांव चयनित किये गये उनमें भेदभाव बरता गया। आगरा जिले के एत्मादपुर क्षेत्र में एक गांव है जहां उच्च जाति और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं उसको छोड़ दिया गया लेकिन उसका जो नगला या मजरा कह लीजिये। राम प्रकाश त्रिपाठी जी जानते होंगे कि नगला क्या होता है। उस नगला को ले लिया गया और उसमें मुश्किल से 50 घर होंगे, उसके लिये सड़क बना दी गयी। लेकिन जो बड़ा गांव था जिसमें उच्च जाति के लोग थे उनको वंचित कर दिया । वहां का प्रधान मेरे पास आया और कहने लगा कि यह क्या हो रहा है ? हमने कहा कि इनका कोई नियम-कानून नहीं है, न संविधान है। हमने वहां के नेता एस0 पी0 सिंह बघेल से कहा कि इस गांव की सड़क सांसद निधि से बनवाओ, हम इसका शिलान्यास नहीं उद्घाटन करेंगे। आपने तो पक्षपात किया है। दलित में भी एक जाति विशेष के गांवों को लिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या इस तरह से नहीं किया गया। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा "किया गया," "किया गया", कहा गया)।

अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर का कद इन्होंने छोटा करने का काम किया। डा0 अम्बेडकर ने दबे-कुचले लोगों के लिये संघर्ष किया, हम सभी लोग उन्हें मानते हैं। जब उनकी जयन्ती और पुण्य तिथि होती थी तो सभी वर्ग के लोग जाते थे। इससे पहले की सरकार ने और उनकी नेता ने डा0 अम्बेडकर साहब को इतना अपमानित किया है। जाति विशेष के लोगों में बांटकर रख दिया है। (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आसन पर बैठे-बैठे कहा कि यह झूठ है, झूठ है।) इतना कद छोटा कर दिया है और गांव में नफरत पैदा करने का काम किया, अलगाव पैदा कर दिया है और डा0 अम्बेडकर को भी अपमानित किया है। इस विधान सभा के सामने जो अम्बेडकर भवन बना हुआ है क्या आपने किया है ? क्या आप में से किसी ने सुझाव दिया था। आप में से किसी ने नहीं दिया, वह नेता दूसरे हैं, जो आज हमारी पार्टी में है। जब मैंने उस समय शपथ लिया था उसके दूसरे दिन ही घोषणा कर दी थी। पुस्तकालय भी बनवा दिया। हमने अम्बेडकर साहब का जितना आदर किया, सम्मान किया, केवल मूर्तिया नहीं लगायी लेकिन हमने काम किया है। समाजवादी नेता डा0 लोहिया और डा0 अम्बेडकर साहब में पत्राचार हुआ था शायद आपको मालूम नहीं होगा । अगर आपके पास न हो तो हमारी लाईब्रेरी से ले लेना।

(शोर)

(सत्ता पक्ष की ओर से चुप रहो कहने पर)

जो कमजोर होता है वह तो चिल्लाता ही है। आज आप कमजोर नहीं हैं इसलिये आप सहनशील बनिये। अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई के शानदार नेता डा0 राम मनोहर लोहिया का जन्म कहां हुआ था ? उनके जन्म स्थान को डा0 लोहिया नगर की घोषणा की गयी। वर्तमान रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज और मैं साथ साथ जाने वाले थे। लेकिन मतभेद था इसलिये हम लोग साथ-साथ नहीं जा सके। डा0 लोहिया के नाम पर नगर की घोषणा होती है लेकिन दूसरी सरकार ने डा0 लोहिया का नाम हटाकर भीमराव अम्बेडकर नगर कर दिया जहां पर अम्बेडकर जीवन में कभी गये तक नहीं थे। तो यह भावना अच्छी नहीं है। हम भी डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर आन्दोलन कर सकते थे लेकिन हम कभी भी डा0 अम्बेडकर साहब के सम्मान के विरोध में नहीं बोले। डा0 लोहिया को लाहौर

जेल में बन्द किया गया और उनको सोने नहीं दिया गया। जब खड़े खड़े नींद आती थी तो लोहे की सरिया से दागा जाता था। डा0 लोहिया के नाम पर हमने जो जिले का नाम रखा वहां पर डा0 लोहिया ने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन डा0 लोहिया नगर का नाम बदल कर भीम राव अम्बेडकर नगर, रखना क्या नफरत फैलाना नहीं है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहते। जो गांव 95 फीसदी, 70 फीसदी बन गये हैं वहां एक गांव नहीं रोकेंगे उन गांवों को बनायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम संसाधन जुटा रहे हैं। संसाधन जुटाने का काम हमारे सामने है। हमारे सामने भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं जनता में। प्राथमिकताओं में थोड़ा बहुत फेर हो सकता है लेकिन हम काम पूरा करेंगे। हम बदले की भावना से काम नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार हटी तो भरथना में पुल बन रहा था। पिलर बन गये थे, काम हो रहा था लेकिन हमारी सरकार बदलते ही वहां का पूरा सामान लोहा, सरिया, ईंट, पत्थर सब उठा लिया गया। आपके बगल में डा0 लोहिया ट्रस्ट बन रहा है हमने कहीं मूर्तियां नहीं लगायीं हम जानते हैं मूर्तियां लगाकर, महापुरुषों का नाम लेकर लोग उनके विचारों की हत्या करते हैं। हमने एक मूर्ति जरुर लगायी डा0 लोहिया की। हमने 70-90 लाख रुपया लाइब्रेरी के लिये दिया है साहित्य के लिये, सबको पढ़ने के लिये, इसके लिये हमने स्वीकृति दे दी है और रुपये का एलोकेशन हो गया है। डा0 लोहिया जैसे महान नायक के बारे में इस तरह से किया गया, दिल में बड़ा दर्द है तकलीफ लोकतंत्र का हमें ख्याल है। आप लोग इस तरह की बात करते हैं। अपना इतिहास नहीं बताते हैं कौन पूछता था अचानक मिल जाए उसमें यह भी मानवता नहीं सवाल इस तरह से खड़े होकर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां के रहने वाले और पूरा प्रदेश और पत्रकार जानते हैं वहां लड़के लेटे रहे दो दिन तक हम बाहर थे बालू, ईंटा, लोहा सब उठा ले गये। भरथना में, जो पुल बनना था उसका सामान कहां गया डा0 लोहिया के नाम पर जो लाइब्रेरी की इमारत है उसका सामान उठा ले गये वह ईंट, लोहा दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया लेकिन हमने विवाद खड़ा नहीं किया। इटावा में जितना रुपया स्वीकृत हो गया था सड़कों पर गिट्टी पड़ गई थी, औरैया में हाट मिक्स प्लांट की यूनिट थी उसका सब सामान उठा ले गये इनके जुल्म और अत्याचार की कहानी बहुत लम्बी है। इस तरह से अलगाव पैदा किया इसके लिये हम लोग 8 साल से लगातार संघर्ष करते रहे हम झुके नहीं यह समझते थे कि हम लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन हम जुल्म सहने के आदी हैं यह सब बातें सामान्य प्रशासन का जब बजट आएगा तो जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ गम्भीर वैचारिक मतभेद हैं लेकिन जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो इनके लोग बैठ जाते हैं। यह अयोध्या के नाम पर हमें गाली देंगे उससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां ही नहीं लोक सभा में भी जब मैं बोलता हूं तो चाहे विनय कटियार हों, या विजय कुमार मल्होत्रा हों सब हमारे कहने पर बैठ जाते हैं। यहीं अनुशासन है कि जब विरोधी पक्ष का कोई बोले तो सत्ता पक्ष के सदस्य न बोलें और जब सत्ता पक्ष से कोई बोलें तो विपक्ष से उस समय न बोला जाए। जिस तरह की आज राजनीति हो रही है उस तरह की राजनीति के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि वैचारिक दृष्टि से बहस होगी, सिद्धान्तों पर बहस होगी लेकिन यहां पर जाति के नाम पर जातियों में भी उपजाति के नाम पर कार्य किया जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि मुझे रुपया देना पड़ा है रैलियों के नाम पर रुपया दिया गया मेरे पास जानकारी है अगर मजबूर

किया गया तो सदन को भी जानकारी दे दूंगा। आज दिल्ली सचिवालय में उत्तर प्रदेश के आई0 ए0 एस0 व आई0 पी0 एस0 को मुश्किल से लिया जाता है। इस तरह की कार्य संस्कृति पैदा की गई, किस तरह से आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 का अपमान किया गया इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भले ही इन गांवों में कार्यों की गति को धीमा किया जाए लेकिन हम कार्य को रोकेंगे नहीं काम पूरा करेंगे। इस तरह से मिथ्या और अनर्गल दुष्प्रचार करने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार आए या जाए इसकी हम जैसे लोग चिन्ता नहीं करते। हमको जो परवाह है वह आप विश्वास करें या न करें। हमको परवाह है देश की एकता, सामाजिक एकता जो बर्बाद हुई है उसको बचाने की, वापस लाने की। जो शिष्टाचार उत्तर प्रदेश में था उसकी। भारत सरकार के वित्त मंत्री से मैंने उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये हम जरूर पैसा देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास हिन्दुस्तान के विकास की धुरी है। ऐसा माननीय वित्त मंत्री जसवन्त सिंह जी ने कहा और हमको कार तक छोड़ने आए। यह शिष्टाचार है। यहां तो शिष्टाचार पता ही नहीं क्या है ? इसलिये हम कहना चाहते हैं कि मिथ्या और निराधार आरोप इस तरह से 8 दिन की सरकार के ऊपर न लगायें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पर विशेष उल्लेख के लिये स्वीकृति दी थी। आपने सूचना का उल्लेख कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया। यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है और यह सूचना निरस्त की जाती है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आज दिनांक 17-9-2003 को नियम-51 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। यह सभी सूचनाएं, जिन माननीय सदस्यों के नाम मैं पढ़ रहा हूं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई हैं।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

*राज्य मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय नेता सदन ने जिस तरीके से आज सदन को सम्बोधित किया और पुनः दोहराया कि विश्वास मत प्राप्त करने के दिन उन्होंने जिन भावनाओं का उल्लेख किया था उन भावनाओं का पालन प्रदेश में हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ था पिछले दिनों उन लोकतांत्रिक मूल्यों के पुर्नस्थापना का काम हो रहा है। इस सम्मानित सदन में जो आचरण बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ के लोगों ने जिस तरीके से चीत्कार किया है मैं उसकी निन्दा का प्रस्ताव लाता हूं। इनके विरुद्ध।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री लाल जी वर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। मैं मद संख्या-21 ले रहा हूं और नियम-51 की सूचनाएं पढ़ रहा हूं। आज दिनांक 17-9-2003 को नियम-51 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

एक मद बची है फिर राष्ट्रीय गीत होगा।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

यह नफ़रत का कारोबार करने वाले हैं यह और कुछ नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें। एक मद और शेष बची है फिर कार्य समाप्त हो जाएगा एक दूसरे की बातों को सुनकर-समझकर उत्तर देंगे तो बात समाप्त हो जाएगी।

(व्यवधान)

(मुख्य मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यसूची को समाप्त होने दें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी में अनवरत जारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री राजेश अग्रवाल की जनपद लखनऊ में कैन्टोनमेंट रोड पर स्थित सदर रेलवे क्रासिंग के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 में अभियन्ताओं द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र फूलपुर में 132 के0वी0 का कार्य सम्पन्न कराये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानार्षण हेतु स्वीकृत किया गया है।

पांचवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के जहूराबाद के ग्राम फत्तेसराय से जुगुनु होते हुए तिहारीपुर तक रोड निर्माण के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है जनपद चित्रकूट के मुख्य नहर में ग्राम रामनगर के पास नहर पर

एक्वाडक्ट का निर्माण कराये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री मिथलेश कुमार की है जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा मित्रों को नियुक्त किये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेंह नगर में तीन सड़कों का लेपन एवं पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की जनपद गोण्डा के ग्राम शिवलाल पुरवा तिलकाडीह के श्री सत्य नारायन के घर में लगी आग से हुई क्षति की भरपाई किए जाने के संबंध में है इसको भी ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकृत किया गया है। ग्यारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के प्रस्तावित सवाइतपुर तहसील का भू-भाग फर्रुखाबाद जिले की अमरवपुर तहसील में न जोड़े जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जनपद बस्ती के नगर पूर्व में कुआनों नदी पर लगड़ी पम्प कैनाल स्थित पम्प को ऊपर उठाये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौदहवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जनपद इलाहाबाद के बाघम्बरी गद्दी क्षेत्र में सीवर कार्य हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। पन्द्रहवीं सूचना श्री उमा शंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर सदर में छावनी लाइन के जमीन से जमींदारी हटाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। सोलहवीं सूचना श्री योगेश प्रताप सिंह की जनपद गोण्डा के तहसील कर्नेलगंज के लगभग 30 ग्रामों में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सत्रहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के बिजलीघर में तकनीकी खराबी के कारण कालपी में विद्युत आपुर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अठ्ठारहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के टाटरगंज निवासी श्री हरवंश सिंह व श्री हरजीत सिंह की नेपाली सेना द्वारा की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। उन्नीसवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम पहाड़पुर में डा0 भीमराव अम्बेदकर संस्थान की निर्मित दीवार एवं भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किए जाने के संबंध में है इसको भी ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकृत किया जाता है। बीसवीं सूचना श्री राकेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी की कटान से प्रभावित गांवों के लोगों को बसाये जाने के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

(व्यवधान)

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रीय-गान

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्र-गान के लिए खड़े होंगे।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

और अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 17 सितम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 395 विधान सभा (700)-12-03-2004-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।